"छत्तीसगढ़ पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी 2-22, छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 जून 2008—आषाढ़ 6, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मई 2008

क्रमांक ई-7/02/2007/1/2.—श्री एम. के. त्यागी, भा. प्र. से., संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 16-06-2008 से 20-06-2008 तक (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14, 15, 21 एवं 22 जून, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री त्यागी, आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

3. अवकाश काल में श्री त्यागी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री त्यागी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2008

क्रमांक ई-7/15/2003/1/2.—श्री आर. पी. जैन, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग को दिनांक 20-05-2008 से 31-05-2008 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 17, 18 एवं 19 मई, 2008 तथा 01-06-2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जैन, आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री जैन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 2 जून 2008

क्रमांक ई-7/3/2006/1/2.—इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 24-05-2008 द्वारा श्री जे. मिंज, भा. प्र. से., संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास, पर्यावरण तथा नगरीय विकास विभाग को दिनांक 26-05-2008 से 13-06-2008 (19 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 2 जून 2008

क्रमांक ई-7/7/2003/1/2.—श्री बी. एल.अग्रवाल, भा. प्र. से., आयुक्त, रायपुर सम्भाग, रायपुर को दिनांक 24-05-2008 को 01 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 25-05-2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल, आगामी आदेश तक आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 जून 2008

क्रमांक ई-7/57/2004/1/2.—सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सरगुजा को दिनांक 28-08-2008 से 09-09-2008 (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही उन्हें उनके स्वयं के व्यय पर लन्दन (यू. के.) की निजी विदेश प्रवास की अनुमति भी प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर सुश्री कंगाले, आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सरगुजा के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में सुश्री कंगाले को अवकाश वेतन-भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री कंगाले, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

5. सुश्री कंगाले के उक्त अवकाश अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सरगुजा का चालू कार्य श्री एस. एल. सोनी, अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सरगुजा सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2008

क्रमांक ई-7/10/2005/1/2.—श्री अजयपाल सिंह, भा. प्र. से., आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 22-5-2008 से 07-06-2008 तक (17 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 08-06-2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह आगामी आदेश तक आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे

3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन-भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2008

क्रमांक 3130/1067/2008/1/2.—श्री संजय गर्ग, भा. प्र. से., कलेक्टर, राजनांदगांव को दिनांक 08-05-2008 से 23-05-2008 तक (16 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गर्ग, आगामी आदेश तक कलेक्टर, राजनांदगांव के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री गर्ग को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गर्ग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 जून 2008

क्रमांक ई-7/7/2003/1/2.—श्री बी. एल. अग्रवाल, भा. प्र. से., आयुक्त, रायपुर सम्भाग, रायपुर को दिनांक 29-5-2008 से 31-05-2008 तक (03 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 01-06-2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल आगामी आदेश तक आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 10 जून 2008

क्रमांक ई-7/31/2004/1/2.—श्री एम. एस. पैकरा, भा. प्र. से., आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 26-06-2008 से 05-07-2008 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 06-07-2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पैकरा आगामी आदेश तक आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पैकरा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पैकरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 10 जून 2008

क्रमांक ई-7/59/2004/1/2.—इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 21-05-2008 द्वारा श्री अमीर अली, भा. प्र. से., संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 14-05-2008 से 24-05-2008 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 20-05-2008 से 26-05-2008 तक (07 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 17, 18 एवं 19 मई, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 11 जून 2008

क्रमांक ई-7-22/2004/1/2.—श्री एन. के. असवाल, भा. प्र. से., प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह, जेल, परिवहन एवं विमानन विभाग को दिनांक 23-06-2008 से 30-06-2008 तक (08 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21 एवं 22 जून, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री असवाल आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह, जेल, परिवहन एवं विमानन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री असवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री असवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 11 जून 2008

क्रमांक ई-7/58/2004/1/2.—श्री पी. जॉय उम्मेन, भा. प्र. से., अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 06-06-2008 से 17-06-2008 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 18-06-2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री उम्मेन, आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री उम्मेन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उम्मेन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जून 2008

संशोधित आदेश

क्रमांक एफ-1-32/2008/20-1.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 680/9406/2007/20, दिनांक 23-01-2008 द्वारा छत्तीसगढ़ प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्यपुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम, 1973 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बाल-पत्रिका-"बचपन" एवं "बालमित्र" को शिक्षा सत्र 2007-08 एवं सत्र 2008-09 के लिए पाठ्यपुस्तक के रूप में प्रयोग हेतु निर्दिष्ट किया गया है.

राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन जोड़ते हुए बाल-पत्रिका- "बचपन" एवं "बालमित्र" को शिक्षा सत्र 2006-07 के लिए भी पाठ्यपुस्तक के रूप में प्रयोग हेतु निर्दिष्ट करता है.

उक्त आदेश में शेष यथावत् रहेगा.

Raipur, the 6th June 2008

REVISED ORDER

No. F-1-32/2008/20-1.—In exercise of the powers conferred under section 5 of the Chhattisgarh Primary, Middle School and Secondary Education (Management regarding Textbooks) Act, 1973 the following magazines have been specified for using them as textbooks, for educational session 2007-08 and 2008-09 by this department's vide order No. 680/9406/2007/20, dated 22-01-2008 :—

1. Children's magazine - BACHPAN for Class 1 to 5th
2. Children's magazine-BALMITRA for Class 6th to 8th

The state government hereby revising a bit to above said order, specify the above said books -BACHPAN and BALMITRA, for using as textbooks, also for educational session 2006-07.

The rest shall be remain unchanged to above said order.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जून 2008

क्रमांक 833/1629/07/स्था/चार.—भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या, डीएडी (बीपीएल) 2090/05-01-13/2007-2008 दिनांक 4 अप्रैल 2008, द्वारा स्वीकृति के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की निम्नलिखित शाखा को शासकीय प्राप्तियों के संव्यवहार हेतु अधिकृत करता है :—

(1) भारतीय स्टेट बैंक, चारामा शाखा, जिला कांकेर.

No. 833/1629/07/ESTT./IV.—In Pursuance of R. B. I. is approval, vide their letter No. Dated DAD (BPL) No. [illegible]90/05-01-13/2[illegible]-2008 April 4, 2008, Government of Chhattisgurh, hereby authorise the S.B.I. branch referred b[illegible]w. for Colle[illegible] [illegible]ovt. receipts.

(1) State Bank of India, Branch Charama, District Kanker.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजयेन्द्र, सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 जून 2008

क्रमांक ए 1-16/07/स्था/चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ. ग. के राज्यपाल एतद्द्वारा छ. ग. स्थानीय निधि संपरीक्षा (राजपत्रित) सेवा भरती नियम 1991 में निम्नलिखित संशोधन करता है, जो राजपत्र में इसके

प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा.

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची-एक, दो, चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां प्रतिस्थापित किए जाएं, अर्थात्—

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

अ. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्त्तव्य पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	संचालक	01	प्रथम वर्ग	14300-18300 अथवा गैर संवर्गीय पदस्थ अधिकारी का निजी वेतनमान.
2.	अतिरिक्त संचालक	01	प्रथम वर्ग	14300-18300 अथवा गैर संवर्गीय पदस्थ अधिकारी का निजी वेतनमान.
3.	संयुक्त संचालक	02	प्रथम वर्ग	12000-375-16500
4.	उप संचालक	07	प्रथम वर्ग	10000-325-15200
5.	सहायक संचालक	24	द्वितीय वर्ग	8000-275-13500

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम	कर्त्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्त्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थाई स्थानांतरण द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (राजपत्रित) सेवा	संचालक	01	कुछ नहीं	100%	पदोन्नति द्वारा उपयुक्त अधिकारी न होने की दशा में आई. ए. एस./ भारतीय लेखा सेवा एवं संपरीक्षा सेवा से अस्थाई स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा पदों को भरा जाएगा
		अतिरिक्त संचालक	01	कुछ नहीं	100%	
		संयुक्त संचालक	02	कुछ नहीं	100%	
		उप संचालक	07	कुछ नहीं	100%	
		सहायक संचालक	24	50%	50%	

अनुसूची-चार

(नियम 14 देखिये)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु सेवा अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वित्त विभाग	अतिरिक्त संचालक	संचालक	03 वर्ष	1. मुख्य सचिव-अध्यक्ष 2. वरि. अपर मु. सचिव-सदस्य 3. वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव या सचिव- सदस्य सचिव. 4. संयुक्त सचिव या उप सचिव-संयोजक
	संयुक्त संचालक	अतिरिक्त संचालक	03 वर्ष	तदैव
	उप संचालक	संयुक्त संचालक	03 वर्ष	1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित आयोग का सदस्य- अध्यक्ष. 2. अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव सचिव संयुक्त सचिव या उपसचिव- सदस्य 3. संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा -सदस्य सचिव
	सहायक संचालक	उप संचालक	05 वर्ष	-,,
	ज्येष्ठ संपरीक्षक या अधीक्षक (अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण)	सहायक संचालक	05 वर्ष	-,,-

Raipur, the 10th June 2008

No. A 1-16/1/07/Esst./IV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Local Fund Audit (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1991, with effect from the date of its publication in the official Gazette.

AMENDMENT

In the said rules :—

For Schedule-I, II, IV the following Schedules shall be substituted, namely—

SCHEDULE-I

(See rule 5)

S. No.	Name of the posts included in the services	Number of duty post	Classification	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Director	01	Class-I	14300-18300 or Posted excadre officer, Personal scale of officer

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Additional Director	01	Class-I	14300-18300 or Posted excadre officer, Personal scale of officer.
3.	Joint Director	02	Class-I	12000-375-16500
4.	Deputy Director	07	Class-I	10000-325-15200
5.	Assistant Director	24	Class-II	8000-275-13500

SCHEDULE-II
(See rule 6)

Name of the Department	Name of services	Designation of post	Total of Number	Percentage of the Number of duty posts to be filled in by Direct recruitment	By promotion of the member of the services	By temporary transfer of persons from other services
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Finance Department	Chhattisgarh Local Fund Audit (Gazetted) Service	Director	01	Nil	100%	In case of suitable officer not being available by promotion the post will be filled by temporary/ deputation from IAS/Indian Accounts and Audit Services
		Additional Director	01	Nil	100%	
		Joint Director	02	Nil	100%	
		Deputy Director	07	Nil	100%	
		Assistant Director	24	50%	50%	

SCHEDULE-IV

(See rule 14)

Name of the Department	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be	Service experience for promotion	Name of the members of the Departmental promotion committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Finance Department	Additional Director	Director	03 Years	1. Chief Secretary- Chairman 2. Senior most Additional Chief Secretary-Member. 3. Additional Chief Secretary/Principal Secretary or Secretary of Finance Department-Member Secretary. 4. Joint Secretary or Deputy Secretary-Organizer.
	Joint Director	Additional Director	03 Years	--do--
	Deputy Director	Joint Director	03 Years	1. Chairman of the Public Service Commission or the Member of the Commission nominated by him Chairman. 2. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary- Secretary Joint Secretary or Deputy Secretary-Member. 3. Director, Local Fund Audit--Member Secretary.
	Assistant Director	Deputy Director	05 Years	--do--
	Senior Auditor or Superintendent (Subordinate Accounts Service Examination)	Assistant Director	05 Years	--do--

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मई 2008

शुद्धि पत्र

क्रमांक/3177/कृषि/किसान आयोग/2006/14-2.—विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/2051-52/कृषि/किसान आयोग/2006/14-2, दिनांक 12-05-2008 के प्रतिलिपि के सरल क्रमांक 12 में उल्लेखित प्रमुख सचिव के आगे "अपर मुख्य सचिव" स्थापित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जून 2008

क्रमांक एफ 11-1/2008/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य कर्मचारी सेवा शर्तें (प्रकीर्ण एवं विनियमन) अधिनियम 1955 के अंतर्गत श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारियों के लिए गठित जस्टिस नारायण कुरूप राष्ट्रीय वेतन बोर्ड की सिफारिशों को राज्य में क्रियान्वयन हेतु निम्न राज्य स्तरीय मानिटरिंग समिति का गठन किया जाता है.

(1)	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग	अध्यक्ष
(2)	राष्ट्रीय वेतन बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
(3)	श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर	सदस्य

समाचार पत्र के नियोजकों के प्रतिनिधि

(i)	श्री के. के. नायक, दैनिक भास्कर, महाप्रबंधक	सदस्य
(ii)	श्री आर. अजीत, नवभारत, महाप्रबंधक	सदस्य
(iii)	श्री मनोज त्रिवेदी, नई दुनिया	सदस्य

श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधि

(i)	श्री नारायण शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष	सदस्य
(ii)	श्री के. शशिधरन, प्रदेश संयोजक	सदस्य
(iii)	श्री नौशाद खान, प्रेस क्लब अध्यक्ष, कोरबा	सदस्य

गैर श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधि

(i)	श्री राजेश पुरानिक, प्रदेश अध्यक्ष, प्रेस कर्मचारी संघ, सी. डब्ल्यू. एन. जे. यू.	सदस्य
(ii)	श्री शिव वर्मा, अध्यक्ष, समाचार पत्र कर्मचारी संघ	सदस्य
(iii)	श्री मनहरण साहू, अध्यक्ष, प्रेस कर्मचारी संघ बिलासपुर	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. सरोज, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जून 2008

क्रमांक 1120/एफ 9-64/32/05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक 490 एफ 9-64/32/05, दिनांक 14-03-2007 द्वारा भिलाई-दुर्ग (भाग-2) विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

विकास योजना भिलाई-दुर्ग (भाग-2) दुर्ग की सारिणी क्रमांक-9-सा-5 का उपांतरण

क्र.	सारिणी का क्र.	भूमि उपयोग परिक्षेत्र	सारिणी के कालम-4 में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग में निम्न गतिविधि जोड़ा जाकर उपांतरण किया जाए
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	07	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	मल्टीप्लेक्स एवं सितारा होटल

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं. राज्य शासन एतद्द्वारा विकास योजना भिलाई-दुर्ग (भाग-2) में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण विकास योजना भिलाई-दुर्ग (भाग-2) का अंगीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 10 जून 2008

क्रमांक 1126/1343/32/2007.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-369/1343/32/2007, दिनांक 21-02-2008 द्वारा बिलासपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

बिलासपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	परसदा	751/1-2	0.26	कृषि	औद्योगिक
		752/2	1.00		
		752/4	1.00		
		758/3	1.00		
		758/4	0.38		
		758/2	2.00		
		योग	**5.64** एकड़		

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा बिलासपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण बिलासपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जून 2008

क्रमांक एफ 11-9/2003/11/6.—चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है, कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है. अतः राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-9/2003/11/6, दिनांक 19-09-2003 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में :—

बिन्दु क्रमांक (4) के तीसरी लाईन में "जिला रोजगार कार्यालय से प्राप्त कर" के स्थान पर "संबंधित मुख्य महाप्रबंधक या महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर" स्थापित किया जाय.

रायपुर, दिनांक 5 जून 2008

क्रमांक एफ 1-10/2006/11/(6).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग (तृतीय श्रेणी लिपिकीय) सेवा, में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :-** (1) ये नियम "छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा भर्ती नियम 2007" कहलायेंगे.

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं :-** इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) सेवा के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसे प्राधिकारी जिसे शासन द्वारा उक्त सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्ति सौंपी गई हो या इसके बाद सौंपी जाये,

(ख) "चयन समिति" से अभिप्रेत है सीधी भर्ती के लिए शासन द्वारा अनुमोदित चयन समिति,

(ग) "सरकार" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार,

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल,

(ङ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 8-5 पच्चीस 4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा निर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग,

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची,

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति,

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति,

(झ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग (तृतीय श्रेणी लिपिकीय) सेवा,

(ञ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना :-** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4\. **सेवा का गठन :-** सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात :-

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से धारण कर रहे हों ।

(2) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और

(3) वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों ।

5\. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि** :-वेतनमान का वर्गीकरण तथा उससे संलग्न सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होगी ।

परन्तु सरकार समय-समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी ।

6\. **भर्ती का तरीका :-** (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थातः-

(क) प्रतियोगिता परीक्षा/ मेरिट के आधार पर चयन या दोनों तरीकों से सीधी भर्ती द्वारा।

(ख) अनुसूची चार के कालम 2 में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा,

(ग) उन व्यक्तियों के स्थानान्तरण एवं प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो मूल रूप से ऐसी सेवा में ऐसे पद धारण करते हों जो इस संबंध में विनिर्दिष्ट किये जायें ।

(2) उप नियम (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की सख्या, अनुसूची एक में यथा विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाये गये पदों के प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी ।

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन भर्ती की किसी भी विशेष कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा के किसी भी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से निश्चित की जायेगी ।

(4) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि सरकार की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण ऐसा अपेक्षित हो, तो सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती संबंधी उन तरीकों को छोड़ जिनका उक्त उप नियम में उल्लेख किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी जो कि वह इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा निर्धारित करें ।

(5) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए, मेरिट के आधार पर चयन के लिए शासन द्वारा मापदण्ड निर्धारित किये जा सकेंगे, तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस हेतु एक चयन समिति का गठन किया जाना आवश्यक होगा जो इन मानदण्डों के, अन्यथा अन्य युक्तिसंगत मानदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी ।

(6) भर्ती करते समय छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे ।

7. **सेवा में नियुक्ति :-** इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा में समस्त नियुक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और ऐसी नियुक्तियाँ नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक के द्वारा चयन करने के पश्चात ही की जाएगी, अन्यथा नहीं ।

8. **सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थियों की पात्रता की शर्तें-** परीक्षा में स्पर्धा करने/चयन किये जाने के लिए पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :-

1- आयु-

(क) उसने चयन/परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची तीन के कालम 3 में परीक्षा यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो, तथा उक्त अनुसूची के कालम 4 में यथा विनिर्दिष्ट आयु सीमा की शर्त पूरी कर ली हो ।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो आयु की उच्चतर सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 नियम-4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हों या कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी , अर्थात्:-

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी शासकीय कर्मचारी हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए । यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कार्यभारित कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जो "छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी" हो, अपनी आयु में से पूर्व में की गई समस्त स्थायी सेवा को अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:-शब्द "छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्ही भी संघटक इकाईयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया था ।

(ङ) ऐसे अभ्यर्थी , जो 'भूतपूर्व सैनिक' है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जावेगा, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिनको किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा

शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा, आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित किया गया हो ।

(एक) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें मस्टरिंग आउट कन्सेशन के अधीन सेवा से मुक्त कर दिया गया हो।

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिन्हें :-

(क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवा मुक्त कर दिया गया हो ।

(तीन) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी ।

(चार) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित है जो उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवा मुक्त किये गये हों ।

(पांच) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों के विरूद्ध छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवोन्मुक्त किया गया हो ।

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं रहे ।

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो ।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(छ) अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत सवर्ण पति / पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ज) "शहीद राजीव पाण्डे/गुण्डाधर/महाराजा प्रवीरचन्द भंजदेव तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त" अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(झ) उन अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य के निगम /मंडलों के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ञ) स्वयं-सेवी नगर सैनिकों, होम गार्ड तथा होम गार्ड के नान कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जायेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

टिप्पणी :-(1) ऐसे अभ्यर्थी जो उपर्युक्त खण्ड (घ) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन हेतु पात्र पाए गए हैं, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, यदि आवेदन प्रस्तुत करने

के पश्चात या तो वे चयन/ परीक्षा के पूर्व या उसके पश्चात सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं, तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उनकी सेवा या पद से छटनी की गई हो तो वे पात्र बने रहेंगे ।

टिप्पणी :-(2) किसी भी अन्य मामले में यह आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थियों को चयन के लिए उपसंजात होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(ठ) आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू रहेंगे ।

2-शैक्षणिक अर्हताएँ:- अभ्यर्थी के पास ऐसी शैक्षणिक अर्हताएँ होनी चाहिए, जो अनुसूची तीन में सेवा के लिए विहित की गई हैं ।

परन्तुः-

(क) आपवादिक मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह माना जा सकेगा जो यद्यपि इस खण्ड में की कोई अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा / चयन में प्रवेश के लिए न्यायोचित ठहराता हो ।

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों को जो अन्यथा अर्ह हो किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी श्विविद्यालयों से, जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई है, उपाधियाँ प्राप्त की हैं, को भी नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार परीक्षा में उपस्थिति हेतु विचार किया जा सकेगा ।

3-फीस :- अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता** :-अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्ही भी अनुचित साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने का कोई भी प्रयास, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके परीक्षा / चयन में प्रवेश के सम्बन्ध में निरर्हता के रूप में माना जायेगा ।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा :-** परीक्षा में बैठने के सम्बन्ध में किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्य बात के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा, तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी ने प्रवेश प्रमाण पत्र जारी न किया हो, परीक्षा या उसके साक्षात्कार में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा /चयन द्वारा सीधी भर्ती :-**

(1) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति गठित की जायेगी इसमें तीन सदस्य होंगे ।

(एक) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अन्तराल से ली जायेगी, जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर सरकार से परामर्श कर निश्चित करे।

(दो) परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा ली जायेगी ।

(2) चयन द्वारा सीधी भर्ती :- सेवा में भर्ती के लिए चयन ऐसे अन्तरालों से किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करे ।

(एक) चयन समिति द्वारा सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन उनके साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा, और

(दो) चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर गठित की जायेगी ।

(3) सीधी भर्ती के प्रक्रम पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित किये जायेंगे ।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने में नियुक्ति हेतु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की सूची पर विचार नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये उनके नामों के क्रम के अनुसार किया जायेगा चाहे अन्य उम्मीदवारों की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान कुछ भी क्यों न हो ।

(5) प्रशासन की दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी, उप नियम (3) के अनुसार यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए रक्षित रिक्त सीटों पर नियुक्त किये जा सकेंगे।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम में 30 (तीस) प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे ।

(7) शारीरिक रूप विकलांग अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण का प्रावधान रहेगा ।

(8) ऐसे मामलों में जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव, आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाता है कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है वहां नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा ।

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची** :-(1) नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति द्वारा निश्चित किये गये ऐसे मानकों के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों की सूची योग्यता क्रम से बनाएगा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उक्त मानक के अनुसार अर्ह नहीं है, किन्तु जिन्हें चयन समिति ने प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया है, बनायेगा । यह सूची सर्वसाधारण की सूचना के लिए भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन उपलब्ध रिक्त स्थानों पर सूची में दिये गये नामों के क्रम से अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में विचार किया जायेगा ।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने संबंधी तथ्य ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी जांच करने के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे, इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति** :-(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची चार में वर्णित सदस्य होंगे ।

परन्तु इस उप नियम के अधीन समिति के गठन के प्रयोजन के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबन्धों का भी अनुसरण किया जायेगा ।

(2) समिति का सम्मेलन ऐसे अंतरालों पर होगा, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक नहीं हों।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के उपबन्धों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण रहेगा ।

(4) रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया उप नियम 3 में उल्लिखित नियम तथा सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार रहेगी ।

14. **पदोन्नति/ स्थानान्तरण के लिए पात्रता संबंधी शर्तें** :- (1) उप नियम 2 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए समिति उन सभी व्यक्तियों के मामले पर विचार करेगी, जिन्होने उस वर्ष की 1 जनवरी को उन पदों पर, जिनसे पदोन्नति की जानी है या किसी अन्य पद या पदों पर, जिन्हें शासन ने उनके समतुल्य घोषित किया हो (स्थानापन्न या मौलिक रूप से) उतने वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो जितनी अनुसूची चार के कालम 5 में विनिर्दिष्ट है और जो उप नियम 2 के उपबंधों के अनुसार विचारार्थ क्षेत्र में आते हों।

स्पष्टीकरण - पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति- वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना उस वर्ष से की जायेगी जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और न कि वेतनमान में आने की तारीख से ।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 पदोन्नति के लिए विधिमान्य होंगे ।

(3) शासन द्वारा पदोन्नति हेतु निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी ।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना** :-(1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो नियम 14 में विहित शर्तो को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो ।। यह सूची चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी ।

(2) चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी के पद पर और तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए मानदंड वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता (सीनियरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगी ।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची की तैयारी के समय सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम अनुसूची चार के कालम 2 में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे ।

स्पष्टीकरण:- ऐसे व्यक्ति का जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चातवर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा ।

(4) ऐसी तैयार की गई सूची प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जायेगी ।

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, यथास्थिति, सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण प्रस्तावित किया जाता है, तो समिति ऐसे प्रस्तावित अधिक्रमण के लिए इसके कारणों का उल्लेख करेगी।

16. चयन सूची :- (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित की गई चयन सूची, अनुसूची चार के कालम 2 में दर्शाये गये पदों से अनुसूची चार के कालम 4 में विनिर्दिष्ट पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी ।

(2) जिस कैलेण्डर वर्ष में पदोन्नति के लिए चयन सूची तैयार की जावेगी उसकी विधि मान्यता उस कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक मान्य रहेगी ।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वाह अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में सरकार के कहने पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा, और यदि वह उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगा।

17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :- (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की नियुक्तियां छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख से बीच की अवधि में, उसके कार्य में ऐसी कोई खराबी उत्पन्न न हो जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो ।

18. परिवीक्षा :- सेवा में सीधी भर्ती या पदोन्नति से भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा ।

19. निर्वचन :- यदि इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठे, तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

20. शिथिलीकरण :- इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह राज्यपाल की किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से जो उसे न्यायसंगत और साम्यपूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है,

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो कि इन नियमों से उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो ।

21. **व्यावृत्ति** :- इन नियमों की कोई भी बाते अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी किये गये निर्देशों / आदेशों के अनुसार उपबन्ध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी ।

22. **निरसन तथा व्यावृत्ति** :- इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त नियम इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में निरसित किये जाते हैं ।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

अनुसूची-एक
(देखिये नियम-4 एवं 5)

सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
शीघ्रलेखक वर्ग-1	01	तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)	6500-10500
शीघ्रलेखक वर्ग-2	09	-,,--	5500-9000
शीघ्रलेखक वर्ग-3	16	-,,-	4500-7000
अधीक्षक	01	-,,-	5500-9000
सहायक अधीक्षक	01	-,,-	4500-7000
जूनियर आडिटर	03	-,,-	4500-7000
सहायक वर्ग-1	13	-,,-	4500-7000
लेखापाल/सहायक वर्ग-2	49	-,,-	4000-6000
स्टेनोटायपिस्ट/सहायक वर्ग-3	76	-,,-	3050-4590
स्टेनोटायपिस्ट	05	-,,-	3050-4590
कम्प्यूटर आपरेटर	19	-,,-	3500-5200

अनुसूची- दो

(देखिए नियम-6)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	कुल कर्तव्य पद	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		
			सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवा से स्थानान्तरण द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग(तृतीय श्रेणी लिपिकीय) सेवा	अधीक्षक	निरंक	100 प्रतिशत	
		सहायक अधीक्षक	निरंक	100 प्रतिशत	
		जूनियर आडिटर	निरंक	100 प्रतिशत	
		सहायक वर्ग-I	निरंक	100 प्रतिशत	
		लेखापाल/सहायक वर्ग- II	निरंक	100 प्रतिशत	
		सहायक वर्ग- III	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	
		स्टेनोटायपिस्ट	100 प्रतिशत	--	
		कम्प्यूटर आपरेटर	100 प्रतिशत	--	
		शीघ्रलेखक वर्ग- I	निरंक	100 प्रतिशत	
		शीघ्रलेखक वर्ग-II	निरंक	100 प्रतिशत	
		शीघ्रलेखक वर्ग-III	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	

अनुसूची- तीन

(देखिए नियम-8)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक योग्यता	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वाणिज्य एवं उद्योग	**तृतीय श्रेणी लिपिकीय** शीघ्रलेखक वर्ग-3	18 वर्ष	35 वर्ष	1- किसी मान्यता प्राप्त मण्डल /विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण । 2- किसी मान्यता प्राप्त मण्डल / संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद से:- (क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए 100 शब्द तथा 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी तथा मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण । (ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिए 100 शब्द तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण । 3- किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एण्ट्री का 10,000 की "डिप्रेशन प्रति घन्टा की गति" होना चाहिए ।	
	सहायक वर्ग-III	18 वर्ष	35 वर्ष	1-किसी मान्यता प्राप्त मण्डल /विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण । 2-किसी मान्यता प्राप्त मण्डल / संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण । 3-किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एण्ट्री का 10,000 की "डिप्रेशन प्रति घन्टा की गति" होना चाहिए ।	
	स्टेनोटायपिस्ट	18 वर्ष	35 वर्ष	1-किसी मान्यता प्राप्त मण्डल /विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण । 2-किसी मान्यता प्राप्त मण्डल / संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण । 3- हिन्दी शीघ्रलेखन में कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट की गति । 4-किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एण्ट्री का 10,000 की "डिप्रेशन प्रति घन्टा की गति" होना चाहिए ।	
	कम्प्यूटर ऑपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का 3 वर्ष का अनुभव । या मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर साईंस इन्फार्मेशन टेक्नालाजी में कम से कम द्वितीय श्रेणी में पत्रोपाधि के साथ 1 वर्ष का अनुभव।	

अनुसूची- चार
(देखिए नियम-13 एवं 14)

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम	पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि	उस पद या सेवा का नाम तथा वेतनमान जिसमें पदोन्नति की जाना है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	सहायक अधीक्षक 4500-7000 जूनियर आडिटर 4500-7000 सहायक वर्ग-I 4500-7000	5 वर्ष	अधीक्षक 5500-9000	संचालक उद्योग - **अध्यक्ष** संयुक्त संचालक उद्योग- **सदस्य** उप संचालक उद्योग / सहायक संचालक उद्योग (अजा/अजजा) वर्ग - **सदस्य** उप संचालक उद्योग (स्थापना कक्ष)- **सदस्य सचिव**
	सहायक वर्ग-II / लेखापाल 4000-6000	5 वर्ष	सहायक अधीक्षक 4500-7000 सहायक वर्ग- I 4500-7000	
	लेखापाल/ सहायक वर्ग-II 4000-6000 (लेखा परीक्षा उत्तीर्ण)	5 वर्ष	जूनियर आडिटर 4500-7000	
	सहायक वर्ग-III	5 वर्ष	सहायक वर्ग- II 4000-6000 लेखापाल 4000-6000	
	स्टेनोटायपिस्ट 3050-4590	5 वर्ष	शीघ्रलेखक-3 4500-7000	
	शीघ्रलेखक-2 5500-9000	5 वर्ष	शीघ्रलेखक-1 6500-10500	
	शीघ्रलेखक-3 4500-7000	5 वर्ष	शीघ्रलेखक-2 5500-9000	
	भृत्य 2550-3200	5 वर्ष	सहायक वर्ग-III 3050-4590	

Raipur, the 5th June 2008

No. F 1-10/2006/11/(6).— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the recruitment to the Chhattisgarh State Industries (Class-III Ministerial) Services, namely: -

RULES

1. **Short title and commencement –(1)** These rules may be called the Chhattisgarh State Industries Class-III (Ministerial) Service Recruitment Rules 2007.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Gazette.

2. **Definitions** –In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Appointing Authority" in respect of the service, means the authority to whom the powers of appointment to service or post have been, or may hereafter be delegated by the Government;

(b) "Selection Committee" means selection committee for direct recruitment, approved by the Government;

(c) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(d) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

(e) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide notification No.8-5-25-4-84 dated 26 December 1984 as amended from time to time;

(f) "Schedule" means a schedule appended to these rules;

(g) "Scheduled Caste" means the Scheduled Caste as specified in relation to this state under of Article 341 the Constitution of India;

(h) "Scheduled Tribe" means the Scheduled Tribe as specified in relation to this state under of Article 342 the Constitution of India;

(i) "Service" means the Chhattisgarh State Industries, (Class-III Ministerial) Service;

(j) "State" means the State of Chhattisgarh;

3. **Scope and Application** –Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service** –The Service shall consist of the following persons, namely :–

(1) Persons, who at the time of commencement of these rules are appointed substantively on the posts specified in Schedule-I

(2) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules, and

(3) Persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classifications, Scale of Pay etc:–** The classification of the Scale of pay and number of posts included in the service attached thereto shall be in accordance with the provision contained in Schedule-I

Provided that the Government may, from time to time add to or reduce the number of posts included in the service, either in a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment:-** (1) Recruitment to the Service, after commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :–

(a) By Direct recruitment, by competitive examination or by selectionon rank of merit or by both;

(b) By promotion of the member of Service as specified in Column (2) of Schedule IV

(c) By transfer and deputation of persons who hold in substantive capacity such posts in such services as specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (a) or clause (b) of sub-rule (1) shall not, at any time exceed the percentage shown in Schedule II of the number of posts as specified in Schedule-I

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the appointingt authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub- rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, Government may after obtaining approval of the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may by order issued in this behalf, prescribe.

(5) For posts to be filled up by direct recruitment; Government may specify norms for selection on the merit basis, however, it will be mandatory on the part of appointing authority to constitute a selection committee, which may adopt other appropriate norms, different from these norms, by consent of the government.

(6) At the time of recruitment, the provisions of Chhattisgarh Civil Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservations) Act, 1994 and the direction issued from time to time by the General Administration Department shall be applicable.

7- **Appointment to the Service :-**All appointments to the service after commencement of these rules shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in Rule 6.

8- **Condition of Eligibility of Candidates of Direct Recruitment:-**In order to be eligible to compete at the Examination/to be selected, a candidate must satisfy the following conditions, namely :–

1- **Age:-**

(a) He must have attained the age specified in column (3) of Schedule III and must fulfill the condition of age limit as specified in column (4) of the said schedule on the first day of January next following the date of commencement of the selection/examination;

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of five years, if a candidate belongs to a Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes;

(c) The Upper age limit shall be relaxable up to a maximum of ten years to a woman candidate in accordance with the provisions of rule 4 of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below: -

(i) A candidate, who is a permanent Government Servant, should not be more than 38 year of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be available to the contingency paid employees and work-charged employees.

(iii) A candidate, who is a "retrenched Government Servant", shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum age limit of 7 (Seven) Years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation - The "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reductions in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A Candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation:- The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or application made otherwise for employment in Government Service.

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on: (a) completion of short-term engagement (b) fulfilling the conditions of enrolment.

(iii) Ex-personnel of Madras Civil unit.

(iv) Officers (Military and Civil) Discharged on completion of their contract including short service Regular Commissioned Officers.

(v) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(vi) Ex-servicemen invalidated out of service;

(vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gunshot wounds etc

(f) The upper age limit shall be relaxable up to 5 (five) years in respect of Green Cards holder candidates under the family welfare programme.

(g) The general upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of a awarded superior caste partner of a couple under the Inter-Caste marriage incentive scheme of the Scheduled Tribe, Scheduled Caste and other Classes welfare Department.

(h) The upper age limit shall also be relaxable up to five years in respect of "Sahid Rajeev Pandey/Gundadhar/Maharaja Paveerchand Bhajdeo and Rastriya Yuwa Award" holder candidates.

(i) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 38 years of age in respect of candidates who are the employees of Chaattisgarh State Corporation/Boards.

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of Voluntary Home Guard and Non-Commissioned Officers of Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note: (1) The candidates, who are admitted to the Examination/selection, under the age concession mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after taking the examination/selection. They will, however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

Note: (2) In no other case will these age limits be relaxed. Departmental candidates must obtain previous permission of their appointing Authority to appear for the selection.

(k) The instructions issued from time to time by General Administration Department in respect to Age limit shall be applicable.

(2) **Educational Qualification** :– The candidate must posses the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III

Provided that:-

(a) In exceptional cases, on the recommendations of the Appointing Authority treat as qualified a candidate who though not possessing any of the qualification in this clause has passed examination conducted by other institutions by such a standard which in the opinion of the Appointing Authority justify the consideration of the condidate for appearing in the examination/ selection, and.

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degrees from foreign Universities being Universities not specifically reconised by the Government may also be considered for appearing in the examination at the discretion of the Appointing Authority .

(3) **Fees** :–The candidate must pay the fees prescribed by the appointing authority.

9. **Disqualification** :–Any attempt on the part of candidate to obtain support for his candidature by any illegal means, may be held by the appointing Authority to disqualify him to admission in the examination/selection.

10. **Appointing Authority's decision about eligibility of candidate shall be final** –The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be admitted to the examination or it to the interview.

11. **Direct Recruitment by Competitive Examination / Selection :-**

(1) Direct Recruitment by Competitive Examination- Appointing Authority shall constitute selection committee consisting of three members.

(i) Competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, in consultation with the Government from time to time, determine.

(ii) The examination shall be held by the Selection Committee in accordance with the orders issued by the Appointing Authority from time to time.

(2) Direct recruitment by selection-(i) Selection for recruitment to the service shall be made at such intervals, as the Appointing Authority may from time to time determine

(ii) The selection of the candidates to the service shall be made by the Selection Committee by interviewing the, and

(iii) Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority from time to time.

(3) There shall be reserved posts for the persons belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Lok Seva Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhde Vargon ke liye Aarakshan Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are the members of the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their name appear in the list referred to in Rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes, selected by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes, as the case may be, under sub-rule (3)

(6) 30 (Thirty) percent posts shall be reserved for women candidates in direct recruitment accordance with provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) Reservation for physically handicapped candidates shall be applicable as per the directions issued by General Administration Department.

(8) Where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for filling the posts by direct recruitment and in the opinion of Appointing Authority it is found that the sufficient number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates having requisite experience is not likely to be available for recruitment on the reserved posts, then the Appointing Authority may relax the condition of experience in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates and Other Backward Classes.

12- **List of Candidates Recommended by the Selection:- (1)** The Appointing Authority shall prepare a list arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the Selection Committee may determine and the list of candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, but are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions and Service) Rules, 1961 the candidate shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list

(3) The inclusion of the candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13- **Appointment by Promotion :- (1)** There shall be constituted a Committee, consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates

Provided that, for the purpose of constitution of the Committee under this Sub-rule, that provisions of Section of the Chhattisgarh Lok Seva Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhde Vargon ke liye Aarakshan Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), shall also be adhered to.

(2) The Committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Reservation in promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Civil services (Reservation in promotion and limits on the extent of zone of consideration) Rules, 2003.

(4) Procedure for making promotion in the vacancies shall be made in accordance with rules mentioned in sub-rule (3) and the instruction issued by the Government in the General Administration Department, from time to time.

14- **Conditions of Eligibility for Promotion/Transfer –(1)** Subject to the provisions of sub-rule (2), the committee shall consider the cases of all persons, who on the first day of January of that year had completed such number of years of services, (whether officiating or substantive) on the posts from which promotion is to be made or on any other posts declared equivalent there to by the Government as specified in column (5) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation: - Method of Computation for Eligibility for Promotion- The calculation of the period of qualifying service on the 1st January of the year in which the Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is called for meeting is done from the year when the Government servant has attained the pay-scale of the respective feeder Cadre/post of service/post and not from the date he has attained the pay-scale.

(2) Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rule 2003 will be valid for promotion.

(3) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government for promotion.

15- **Preparation of the list of suitable candidates- (1)** The Departmental Promotion Committee shall prepare list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 14 and are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list.

(2) For preparing the select list of persons for promotion from the post of class IV to Class III, and Class III to Class III the criterion shall be seniority subject to fitness

(3) The name of the employees included in the list shall be arranged in order of seniority in the service of posts, as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of such select list as per Chhattisgarh Civil Service (General condition of Service) Rules 1961.

Explanation: - A person, whose name is included in the select list, but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision, as the case may be, it is proposed to supersede any member of the Service the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

16- **Select List :– (1)** The list as finally approved by the Appointing Authority shall from the select list for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (2) of Schedule IV to the posts mentioned in column (4) of the said Schedule

(2) The select list for promotion shall be valid up to 31st December of the calendar year in which it is prepared.

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list

17- **Appointment to the service from the select list :– (1)** Appointment of the employees included in the select list shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rule-2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before the appointment of a person, whose name is included in the select list to the Service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the appointing authority is such as to render him unsuitable for appointment in the service.

18- **Probation :–** Every person directly recruited or promoted to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19- **Interpretation :–** If any question arises relating to the interpretation of these rules; it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

20- **Relaxation:-**Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom, these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt within any manner less favorable to him than that provided in these rules.

21- **Saving:-** Nothing in these rules affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Casts/Scheduled Tribe and other Backward Classes in accordance with the extractions/ orders issued by the State Government from time to time in this regard.

22- **Repeal and Saving:-** All rules corresponding to these rules in force immediately before their commencement are herby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VINOD GUPTA, Special Secretary.

Schedule-I
(See Rule- 4 and 5)

Name of the post included in the service	No. Of Post	Classification	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)
Stenographer Grade-I	01	Class-III (Ministerial)	6500-10500
Stenographer Grade-II	09	--do--	5500-9000
Stenographer Grade-III	16	--do--	4500-7000
Superintendents	01	--do--	5500-9000
Asstt.Supdts.	01	--do--	4500-7000
Junior Auditor	03	--do--	4500-7000
Assistant Grade-I	13	--do--	4500-7000
Accountant/Assistant Grade-II	49	--do--	4000-6000
Steno typist/Assistant Grade-III	76	--do--	3050-4590
Steno typist	05	--do--	3050-4590
Computer Operator	19	--do--	3500-5200

SCHEDUL-II

(See Rule-6)

Name of Department	Name of Service	Total duty Post	Percentage of the number of duty post to be filled in		
			By direct recruitment	By promotion of member of the service	By transfer of persons from other services
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Commerce and Industries	Chhattisgarh State Industries (Class-III Ministerial) Service	Superintendent	Nil	100%	-
		Asstt. Superintendent	Nil	100%	-
		Junior Auditor	Nil	100%	-
		Assistant Grade-I	Nil	100%	
		Assistant Grade-II / Accountant	Nil	100%	
		Assistant Grade-III	75%	25%	-
		Steno typist	100%	-	-
		Computer operator	100%	-	-
		Stenographer Grade-I	Nil	100%	
		Stenographer Grade-II	Nil	100%	
		Stenographer Grade-III	50%	50%	

SCHEDULE-III

(See Rule-8)

Name of Department	Name of Service	Minimum age limit	Upper age limit	Education qualification prescribed	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
Commerce and Industries	Class-III Ministerial Stenographer Grade-III	18 Year	35 Year	1- Any recognized Board /University have passed to Higher secondary or (10+2) passed or First year passed in Graduate. 2- Any recognized Board / Institute or Council of Shorthand and Typing. (a) Have passed examination in Hindi Shorthand and Typing speed 100 word & 25word P.M. (b) Have passed examination in English Shorthand and Typing speed 100 words & 30 words P.M. 3- One year Diploma Any recognized Institute of Data Entry Operator / Programming certificate and must have speed to Data entry 10000 "depression per hour".	
	Assistant Grade-III	18 Year	35 Year	1- Any recognized Board/ University have passed to Higher secondary or (10+2) passed or First year passed in Graduate. 2- Any recognized Board / Institute has passed examination in Hindi Typing speed 25 words P.M. 3- One year Diploma Any recognized Institute of Data Entry Operator / Programming certificate and must have speed to Data entry 10000 "depression per hour".	
	Steno typist	18 Year	35 Year	1- Any recognized Board/ University have passed to Higher secondary or (10+2) passed or First year passed in Graduate. 2- Any recognized Board / Institute has passed examination in Hindi Typing speed 25 words P.M. 3- Must have the speed of at least 60 words per minute in Hindi stenography. 3- One year Diploma Any recognized Institute of Data Entry Operator / Programming certificate and must have speed to Data entry 10000 "depression per hour".	
	Computer operator	18 Year	35 Year	Bachelor's Degree with 3-year experience in computer programming from recognized university. OR At least II Class Diploma in computer science Information Technology from a recognized Institute with 1 year experience	

SCHEDULE-IV
(See Rule-13 and 14)

Name of Department	Name of Service or post	Eligibility period for promotion	Name of Service or post on which promotion is to be made	Name of members Departmental promotion committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Commerce and Industries	Asstt. Superintendent - 4500-7000 Junior Auditor - 4500-7000 Assistant Grade-I - 4500-7000	5 year	Superintendents 5500-9000	Director of Industries **Chairman** Joint Director of Industries- **Member** Dy. Directors of Industries SC/ST category Asstt.Director (SC/ST) - **Member** Dy. Director of Industries (Establishment) **Member Secretary**
	Assistant Grade-II - 4000-6000 Accountant - 4000-6000	5 year	Asstt. Superintendents - 4500-7000 Assistant Grade-I 4500-7000	
	Accountant / Assistant Grade-II (Account Trained) -4000-6000	5 year	Junior Auditor - 4500-7000	
	Assistant Grade-III - 3050-4590	5 year	Assistant Grade-II - 4000-6000 Accountant 4000-6000	
	Steno typist - 3050-4590	5 year	Stenographer Grade-III 4500-7000	
	Stenographer Grade-II 5500-9000	5 year	Stenographer Grade-I 6500-10500	
	Stenographer Grade-III 4500-7000	5 year	Stenographer Grade-II 5500-9000	
	Peon - 2550-3200	5 year	Assistant Grade-III 3050-4590	

रायपुर, दिनांक 5 जून 2008

क्रमांक एफ 1-13/2006/11/(6).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) सेवा की भर्ती तथा सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2007" है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**:— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जिसे सरकार द्वारा उक्त सेवा या पद पर नियुक्ति की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हो या इसके पश्चात् प्रत्यायोजित की जाए,

(ख) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, सीधी भर्ती के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित चयन समिति,

(ग) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ,

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ,

(ङ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ,

(च) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति,

(छ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग ,

(ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ,

(झ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) सेवा

(ञ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य ।

3 **विस्तार तथा लागू होना** – छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन** – सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :–

(क) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों ;

(ख) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और

(ग) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5 **वर्गीकरण, वेतनमान आदि** – सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान , अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होगा।

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय–समय पर या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6 **भर्ती का तरीका** – (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :–

(क) सीधी भर्ती द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा या मेरिट के आधार पर चयन या दोनों द्वारा ;

(क–1) अनुसूची – दो में में अंधिकथित योजना के अनुसार लिपिक वर्गीय सेवाओं से चयन द्वारा ;

(ख) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के स्थायी सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) उन व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो मूल रुप से ऐसी सेवाओं में ऐसे पद, धारण करते हो, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाये ।

(2) उप नियम (1) के खण्ड (क) अथवा खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या अनुसूची–एक में उल्लिखित पदों की संख्या के अनुसूची –दो में दर्शाये गये प्रतिशत, किसी भी समय अधिक नही होगी ।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी ऐसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को जिसे भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके और ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि, सरकार की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा अपेक्षित हो तो सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन के पश्चात् उक्त नियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के लिए उन तरीकों से भिन्न ऐसे तरीके अपना सकेगी, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करें।

(5) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदो के लिए मेरिट के आधार पर चयन के लिए सरकार द्वारा मापदण्ड निर्धारित किये जा सकेंगे तथापि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस हेतु एक चयन समिति गठित की जाना आवश्यक होगा जो इन मापदण्डों से अन्यथा अन्य युक्तिसंगत मानदंड सरकार की सहमती से अपना सकेगी।

(6) भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति** – इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाएगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीके में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जावेगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता संबंधी शर्तें** – चयन के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(1) आयु – (क) उसने चयन प्रारम्भ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिवस को अनुसूची तीन के कालम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, एवं उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट की गयी आयु सीमा की शर्त पूरी कर ली हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997, के नियम 4 के उपबंधो के अनुसार महिला अभ्यर्थियो की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हों अथवा कर्मचारी रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए,

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी दूसरे पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी,जो ''छटनी किया गया शासकीय सेवक'' हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :– शब्द ''छटनी किया गया शासकीय सेवक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य अथवा किन्ही भी संघटक इकाईयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

(ङ.) ऐसा अभ्यर्थी, जो ''भूतपूर्व सैनिक'' हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :—शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई थी अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था।

(एक)ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो,

(दो)ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो और —

(क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्व हो जाने पर,

(ख) भर्ती संबंधी शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवान्मुक्त कर दिया गया हो.

(तीन)मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक,

(चार)ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है जो उनकी सविंदा पूरी होने पर सेवान्मुक्त किये गये हों,

(पांच)ऐसे अधिकारीं, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(छः)ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो,

(सात)ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है,

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो।

(च) उन महिला अभ्यर्थियो के संबंध में जो विधवा या तलाकशुदा है के लिए उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) उन अभ्यर्थियों के लिए जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड धारण करते है, उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पति के पुरस्कृत संवर्ण पति/पत्नि के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के लिए, उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य निगमों/मण्डलों के कर्मचारी है, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ट) स्वयं सेवी नगर सैनिको एवं नगर सेना के नानकमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष तक शिथिलनीय होगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए

टिप्पणी—1. ऐसे अभ्यर्थी, जो उपर्युक्त खण्ड (घ) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन के लिये प्रवेश दिए गये है, नियुक्ति के पात्र नही होगें यदि आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो वे परीक्षा/चयन के पूर्व अथवा उसके पश्चात् सेवा से त्याग—पत्र देते है तथापि यदि आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी की जाती है, तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे।

टिप्पणी—2. किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपसंजात होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी.

(ठ) आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश भी लागू रहेंगे।

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं** – अभ्यर्थी के पास अनुसूची–तीन में दर्शायी गई सेवा के लिये विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए।

(3) **फीस** – अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता** –अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्ही भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे परीक्षा/चयन के लिये निरर्हता माना जा सकेगा।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा** – परीक्षा/ साक्षात्कार में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण–पत्र जारी नही किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती:– (1) प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती:–** नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति गठित की जायेगी जिसमें तीन सदस्य होंगे : (क)सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जावेगी, जैसा की नियुक्ति प्राधिकारी सरकार के परामर्श से समय–समय पर अवधारित करें।

(ख)परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा ली जायेगी।

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती :–** **(एक)** सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों में किया जायेगा जैसा की नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर अवधारित करें।

(दो) चयन समिति द्वारा सेवा में अभ्यर्थियो का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा।

(तीन) चयन समिति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय समय पर, गठित की जायेगी ।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार आरक्षित किया जाएगा।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गो के सदस्य है, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रेंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये योग्य घोषित किया गया हो, यथास्थिति, उपनियम (3) के अधीन अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के अभ्यर्थियों को आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति किया जा सकेगा ।

(6) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं के नियुक्ति के लिये विशेष उपबध) नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम में 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे।

(7) विकलांगों अभ्यर्थियों के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण रहेगा।

(8) ऐसे मामलों में जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदो के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रुप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नही है वहां नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची** – (1) नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन समिति अवधारित करे तथा अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़ा वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किये गये है तैयार करेगा। सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जावेगी ।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम से विचार किया जाएगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसे जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

13. लिपिक वर्गीय सेवाओं से सहायक प्रबंधक के पद पर सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, चयन कर सीधी भर्ती :– (1) नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (क–1) के अनुसार विभाग की लिपिक वर्गीय सेवा में से चयन द्वारा सहायक प्रबंधक के पद भरने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी ,ऐसे समय पर जैसा कि वह अवधारित करे, अनुसूची – पांच में अधिकथित योजना (स्कीम) के अनुसार सीमित प्रतियोगिता परीक्षा वार्षिक रुप से आयोजित करेगा।

(2) ऐसी नियुक्ति के लिए उपलब्ध रिक्तियों का 16, 20 तथा 14 प्रतिशत उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा जायेगा जो क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य है ।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय नियुक्ति के लिए उन अभ्यर्थियों पर, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य हैं, उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम से उनके नाम उपरोक्त उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(4) नियुक्ति के लिए अनुशंसा किए गये उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची – ऐसे अभ्यर्थी की, जो अनुसूची पांच में अधिकथित किये गये अनुसार उन्हे ऐसे स्तर से अर्ह बनाती हो तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे अभ्यर्थियों की, यद्यपि जो उस स्तर से अर्ह न हो किन्तु जिन्हे प्रशासन में पर्याप्त दक्षता बनाये रखने का ध्यान सम्यक् रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के लिये योग्य घोषित किये गये हो, गुणागुण के क्रम में व्यवस्थित सूची तैयार की जाएगी।

(5) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हो।

(6) चयन सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच के पश्चात जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये की अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

14 **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति** – (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये अनुसूची– चार में दर्शाए सदस्यों को मिलाकर एक समिति गठन की जायेगी:

परन्तु इस उपनियम के अधीन समिति गठन करने के प्रयोजन हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1994 (क्र.21 सन् 1994) के प्रावधानों के अनुसार होगा।

(2) समिति का सम्मिलन ऐसे अंतरालों में किया जायेगा जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक का नही होगा।

(3) पदोन्नति में आरक्षण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र के विस्तार पर सीमाएं) नियम 2003, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(4) रिक्तियों में पदोन्नति के लिए प्रकिया, उपनियम (3) में उल्लिखित नियमों तथा सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

15 **पदोन्नति/स्थानांतरण के लिये पात्रता की शर्तें** :– (1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन सभी व्यक्तियों के मामले पर विचार करेगी, जिन्होने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, सरकार द्वारा उनके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद पर, उतने वर्षो की सेवा (चाहे स्थानापन्न या मूल रूप में), जैसा कि अनुसूची – चार के कालम (5) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो और जो उपनियम (2) के अनुसार विचारण क्षेत्र मे आते हों :

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति :– संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं ।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 पदोन्नति के लिए विधिमान्य होगी ।

16. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार किया जाना – (1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपरोक्त नियम 15 में विहित शर्तो को पूरा करते हो, और जिन्हे समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति/स्थानांतरण के लिए उपयुक्त ठहराया गया हो। यह सूची चयन सूची तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों की पूर्ति के लिए पर्याप्त होगी।

(2) ऐसी सूची में सम्मिलित होने के लिए चयन वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए, गुणागुण एवं उपयुक्तता के आधार पर होगी।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के अनुसार प्रत्येक चयन सूची की तैयारी के समय सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम अनुसूची चार के कालम 2 के अनुसार सेवा या पदो में वरिष्ठता के कम से रखे जायेंगे ।

स्पष्टीकरण – ऐसे व्यक्ति का, जिनका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उनके ऊपर जिन पर पश्चातवर्ती चयन मे विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं करेगा।

17. चयन सूची – (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची–चार के कालम–2 में उल्लिखित पदों से उक्त अनुसूची के कालम–4 में उल्लिखित पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी ।

(2) जिस कैलेण्डर वर्ष में पदोन्नति के लिए चयन सूची तैयार की जायेगी उसकी विधिमान्यता उस कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक मान्य रहेगी।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्यों के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी के कहने पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि विभागीय पदोन्नति समिति उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा ।

18. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति– (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की नियुक्तियां छत्तीसगढ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथ्सस प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख़ से बीच की अवधि में उसके कार्य में ऐसी कोई खराबी उत्पन्न न हो जाये जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त सिद्ध करता हो ।

19. **परिवीक्षा** – सेवा में सीधी भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा ।

20. **निवर्चन** – यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

21. **शिथिलीकरण**– इन नियमों में की गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह राज्यपाल की किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे ये नियम लागू होते हैं ऐसी रीति से जो उन्हें न्यायोचित और साम्यापूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती हो ,

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो ।

22. **व्यावृत्ति** – इन नियमों में की गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी ।

23. **निरसन तथा व्यावृत्ति** – इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त संकल्प, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

अनुसूची एक
(नियम 4 तथा 5 देखिए)

स.0 क0	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1.	सहायक प्रबंधक	104	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	4500–125–7000
2.	वाहन चालक (वरिष्ठ)	03	तृतीय श्रेणी	3050–75–3950–80–4590
3.	वाहन चालक	01	तृतीय श्रेणी	2610–3540

अनुसूची दो
(नियम 6 देखिए)

स.0 क0	विभाग का नाम	सेवा का नाम	कर्तब्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तब्य पदों की संख्या का प्रतिशत		
				चयन से सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	वाणिज्य तथा उद्योग	छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग (तृतीय श्रेणी) सेवा कार्यपालिक	104 सहायक प्रबंधक	1. **75%** सीधी भर्ती द्वारा 2. **25%** लिपिकीय सेवा से चयन द्वारा	–	–
2			03 वाहन चालक (वरिष्ठ)	–	**100%** पदोन्नति द्वारा	–
3.			01 वाहन चालक	**100%** सीधी भर्ती द्वारा	–	–

अनुसूची तीन

(नियम 8 देखिए)

स.0 क0	विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	वाणिज्य तथा उद्योग	छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग (तृतीय श्रेणी) सेवा कार्यपालिक 1. सहायक प्रबंधक	18 वर्ष	35 वर्ष	1.(अ) स्नातक (कला, वाणिज्य. विज्ञान) अथवा (ब) किसी मान्यता प्राप्त इंजिनियरिंग संस्था से तकनीकी व्यवसाय में पत्रोपाधि (डिप्लोमा)	—
2.		2. वाहन चालक	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उतीर्ण साथ में ड्राइविंग लायसंस धारी	—

अनुसूची चार

(नियम 14 एवं 15 देखिए)

स.0 क0	विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	वेतनमान	पात्रता अवधि	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों का नाम (नियम 13 देखिए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	उद्योग विभाग	चालक	2610—3540	5 वर्ष	चालक (वरिष्ठ)	संयुक्त संचालक उद्योग — **अध्यक्ष** उप संचालक उद्योग / सहायक संचालक (अ.जा. / अ.ज.)संवर्ग — **सदस्य** उप संचालक उद्योग(स्थापना) — **सदस्य सचिव**

अनुसूची पांच
(नियम 13 देखिए)

सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा उद्योग संचालनालय के लिपिक वर्गीय सेवाओं से सहायक प्रबंधक के पद भरने की स्कीम ।

1. **संक्षिप्त नाम** – इस स्कीम का संक्षिप्त नाम उद्योग संचालनालय की लिपिक वर्गीय सेवाओं से सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सहायक प्रबंधक के पद भरने की स्कीम है।

2. **पात्रता– (क)**इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिएं उद्योग संचालनालय के लिपिक वर्गीय सेवाओं के केवल ऐसे सदस्य ही पात्र होंगे जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हों, अर्थात्:–

(एक) जो उद्योग संचालनालय में किसी भी लिपिक वर्गीय पद पर स्थायी या स्थानापन्न हैसियत से कम से कम 5 वर्ष से कार्य कर रहे हो।

(दो) जिनके पास सहायक प्रबंधक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अनुसूची तीन में विहित शैक्षणिक अर्हता हो।

(तीन) जिस वर्ष चयन किया जाना हो उस वर्ष की 1 जनवरी को जिनकी आयु 40 वर्ष (चालिस वर्ष) से अधिक न हो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।

(ख)कोई भी व्यक्ति इस स्कीम के अधीन परीक्षा में तीन बार से अधिक बैठने के लिए अनुज्ञात नही किया जायेगा।

3. **चयन** :– नियुक्ति हेतु चयन निम्नलिखित पर आधारित होगी :–

(एक) इस स्कीम के अधीन ली गई लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक और,

(दो) संबंधित कर्मचारी के पिछले 5 वर्ष की चरित्रावलियों का आंकलन।

4. **परीक्षा**:– (एक) प्रत्येक वर्ष या ऐसे अंतरालों में तथा ऐसी तारीख या तारीखों को और ऐसे स्थान या स्थानों पर जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी विनिश्चित करें, लिखित परीक्षा ली जायेगी ।

(दो) लिखित परीक्षा में 50–50 अंक के दो प्रश्नपत्र होंगे । उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्नपत्र में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा ।

(तीन) प्रश्नपत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार किये जायेंगे तथा उनसे निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे :–

प्रश्नपत्र –I सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी तथा आरंभिक अंक गणित।

प्रश्नपत्र –II शासकीय सेवा से संबंधित साधारण नियमों का ज्ञान उद्योग संचालनालय द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली शब्दावली का ज्ञान और सुसंगत

अधिनियम तथा नियमों का संक्षिप्त आरंभिक ज्ञान।

(चार) प्रश्नपत्रों के लिए संबंधित पाठ्यक्रम परिशिष्ट एक में दिए गये अनुसार होगा।

(पांच) परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक कर्मचारियों से आवेदन पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा की नियत तारीख से कम से कम एक मास पूर्व आमंत्रित किये जायेंगे और जो सम्मिलित होने के लिए पात्र पाऐ जायेंगे केवल उन्ही को परीक्षा की तारीख, समय तथा स्थान की सूचना दी जायेगी।

(छः) उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मनोनीत संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(सात) ऐसे कर्मचारियों की सूची जो अलग–अलग प्रश्नपत्र में कुल अंकों का 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे, तैयार की जायेगी।

5. **चरित्रावलियों का आकलन तथा चयन की अंतिम सूचीः–** (एक) उन कर्मचारियों की जिनके नाम उपरोक्त पैरा (सात) के अनुसार तैयार की गई सूची में आये हो, पांच वर्ष की गोपनीय चरित्रावलियां अनुसूची चार के कालम 4 के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा आंकलित की जायेगी ।

(दो) ऐसे प्रत्येक कर्मचारी की, प्रत्येक वर्ष की चरित्रावली के लिए 20 अंकों में निम्नलिखित आधार पर अंक दिए जायेंगेः–

उत्कृष्ट/बहुत अच्छा	20
अच्छा	15
साधारण	10

(तीन) 100 अंकों में प्रत्येक कर्मचारी की चरित्रावली के आधार पर दिए गये अंकों को परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों के सामने अंकित किया जाएगा तथा दोनों अंकों का योग किया जाएगा।

(चार) चयन हेतु अंतिम सूची परीक्षा में तथा चरित्रावली के आंकलन में प्राप्त अंकों को परीक्षा की कुल संख्या के आधार पर तैयार की जायेगी। लिपिक वर्गीय सेवाओं के लिए नियम कोटा के अनुसार सहायक प्रबंधक के पदों पर नियुक्ति इस सूची से उसी कम में की जाएगी जिस कम में सूची में उनके नाम आये हों।

(पांच) इस स्कीम के अधीन सहायक प्रबंधक के रुप में नियुक्त लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता उपर बताए गए अनुसार तैयार की गई चयन की अंतिम सूची में दी गई वरिष्ठता पर आधारित होगी।

6. परिवीक्षाः— इस स्कीम के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक कर्मचारी दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाएगा । इस कालावधि के दौरान उसे पद के लिए विहित किया गया प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभागीय परीक्षा यदि विहित की जाय तो उत्तीर्ण करना होगा । यदि कोई कर्मचारी परिवीक्षा कालावधि के दौरान सहायक प्रबंधक के पद के लिए उपयुक्त न पाया जाये तो वह अपने मूल लिपिक वर्गीय पद पर पदावनत किया जा सकेगा । लिपिक वर्गीय पद पर पदोन्नत किये जाने पर ऐसे पदोन्नत कर्मचारी की परीवीक्षा कालावधि में की गई सेवा की कालावधि को उसके लिपिक वर्गीय पद पर व्यतीत की गई सेवा की कालावधि मानी जाएगी ।

परिशिष्ट एक

प्रश्न पत्रों का पाठ्यकम

प्रश्न पत्र I

कुल अंक : 50

समय : 2.30 घंटा

(एक) सामान्य ज्ञान (15 अंक)

सामयिक घटनाओं संबंधी सामान्य सूचनाओं पर आधारित प्रश्न, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल तथा संबद्ध विषय और छत्तीसगढ़ के बारे में सामान्य सूचनाओं पर आधारित प्रश्न (केवल 3 प्रश्न)

(दो) सामान्य हिन्दी (15 अंक)

समान शब्दों के अन्तर पर आधारित संक्षिप्त प्रश्न, किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध (विचारों की अभिव्यक्ति) (3 प्रश्न)

(तीन) प्रारंभिक गणित (20 अंक)

गुणा, भाग, दशमलव, भाजन, प्रतिशत, लाभ एवं हानि, औसत, क्षेत्रफल, आयतन, अनुपात (4 प्रश्न)

प्रश्न पत्र : II

कुल अंक : 50

समय : 2.30 घंटा

(एक) शासकीय सेवा नियमों का ज्ञान **(20 अंक)**

वेतन, भत्ते, अवकाश, सामान्य भविष्य निधि स्कीम का प्रारंभिक ज्ञान, सेवा भरती नियमों का सामान्य ज्ञान, शासकीय सेवकों के आचरण संबंधी नियमों का बुनियादी ज्ञान (3 प्रश्न)

(दो) शब्दावली का ज्ञान (15 अंक)

विभाग में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पद नाम तथा शब्दावली का जिसका विशेष अर्थ हो, सामान्य ज्ञान और जिसका ज्ञान होना प्रतिदिन के कार्यकरण में आवश्यक हो ।

(तीन) विभागों से संबंधित विषयों का ज्ञान (15 अंक)

विभिन्न अधिनियमों, नियमों आदि के नाम जिनके अधीन विभाग का कार्य कार्यान्वित किया जाता है ।

टीपः— (1) विभाग वस्तुनिष्ठ या अन्य प्रकार से प्रश्न पत्र बना सकेगा (2) उपरोक्त पाठ्यक्रम विस्तृत रूप में नहीं हैं बल्कि उदाहरणात्मक है, विभाग उसमें यथोचित परिवर्तन कर सकता है जैसा कि विभाग की अपेक्षानुसार आवश्यक समझे जायें ।

Raipur, the 5th June 2008

No. F 1-13/2006/11/(6).— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the Recruitment and conditions of service of the Chhattisgarh State Industries (Class-III Executive) Services, namely: -

RULES

1. **Short title and commencement :— (1)** These rules may be called the Chhattisgarh State Industries Class-III (Executive) Service Recruitment Rules 2007.

   (2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the official Gazette.

2. **Definitions :**–In these rules, unless the context otherwise requires;

   (a) "Appointing Authority" in respect of the service, means the of authority to whom the powers of appointing to service or post have been, or may hereafter be delegated by the Government;

   (b) "Selection Committee" means selection committee for direct recruitment, approved by the Government;

   (c) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

   (d) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

   (e) "Scheduled Caste" means the Scheduled Caste as specified in relation to this State under Article 341 of Constitution of India;

   (f) "Scheduled Tribe" means scheduled tribe as specified in relation to this State under Article 342 of Constitution of India;

   (g) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the Notification No.8-5-25-4-84 dated 26 December-84 as ammended from time to time;

   (h) "Schedule" means a schedule appended to these rules;

   (i) "Service" means the Chhattisgarh State Industries, Class-III (Executive) Service;

   (j) "State" means the State of Chhattisgarh;

3. **Scope and Application :**–Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service :**–The Service shall consist of the following persons, namely :–

   (1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively on the posts specified in the Schedule-I

   (2) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules, and

   (3) Persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classifications, Scale of Pay etc :**—The classification of the service, and the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provision contained in Schedule-I

Provided that the Government may, from time to time add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment:-** (1)Recruitment to the Service, after commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely –

(a) By direct recruitment by competitive examination or selection by merit or by both;

(a-1) By selection from Ministerial service as per scheme laid down in schedule II;

(b) By promotion of substative member of the Service as specified in Column (2) of Schedule IV;

(c) By transfer of persons holding substatively such posts in such services as my be specified.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not, at any time exceed the percentage shown in Schedule II of the number of posts mentioned in Schedule-I

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the appointing authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub- rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, Government may after obtaining approval of the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may by order issued in this behalf, prescribe.

(5) For posts to be filled up by direct recruitment; Government may specify norms for selection on the merit basis, however, it will be mandatory on the part of appointing authority to constitute a selection committee, which may adopt other appropriate norms, different from these norms, by consent of the government.

(6) At the time of recruitment, the provision of Chhattisgarh Civil Service (For Scheduled Caste, Scheduled Tribe and other Backward Classes Reservations) Act, 1994 and the directives issued by the General Administration Department from time to time shall be applicable.

7- **Appointment to the Service:-**All appointments to the service after commencement of these rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in Rule 6.

8- **Condition of Eligibility of Candidates for Direct Recruitment:-**In order to be eligible for selection a candidate must satisfy the following condition, namely :–

1-Age-

(a) He must have attained the age specified in column (3) of Schedule III and fulfill the condition age limit as specified in column (4) of the said schedule on the first day of January, next following the date of commencement of selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes.

(c) The Upper age limit shall be relaxable upto a maximum of ten years to a woman candidate in accordance with the provisions of rule 4 of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate, who is a permanent Government Servant, should not be more than 38 year of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees and work-charged employees.

(iii) A candidate, who is a "retrenched Government Servant", shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum age limit of 7 (Seven) Years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation - The "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reductions in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A Candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation- The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or application made otherwise for employment in Government Service.

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on:- (a) completion of short-term engagement (b) fulfilling the conditions of enrolment;

(iii) Ex-personnel of Madras Civil unit;

(iv) Officers (Military and Civil) Discharged on completion of their contract including short service Regular Commissioned Officers;

(v) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(vi) Ex-servicemen invalidated out of service;

(vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gunshot wounds etc.

(f) The general upper age limit shall be relax able up to five years in respect of widow and divorced woman candidates.

(g) The upper age limit shall be relax able up to 2 (two) years in respect of Green Cards holder candidates under the family welfare programme.

(h) The general upper age limit shall be relax able up to five years in respect of a awarded superior caste partner of a couple under the Inter-Caste marriage incentive scheme of the Scheduled Tribe, Scheduled Caste and other Classes welfare Department.

(i) The upper age limit shall also be relax able up to five years in respect of "Sahid Rajeev Pandey/Gundadhar/Maharaja Paveerchand Bhajdeo and Rastriya Yuwa Award" holder candidates.

(j) The upper age limit shall be relax able up to a maximum of 38 years of age in respect of candidates who are the employees of Chaattisgarh State Corporation/Boards.

(k) The upper age limit shall be relaxed in the case of Voluntary Home Guard and Non-Commissioned Officers of Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note: (1) The candidates, who are admitted to the Examination/selection, under the age concession mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after taking the examination/selection. They will, however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

Note: (2) In no other case will these age limits be relaxed. Departmental candidates must obtain previous permission of their appointing Authority to appear for the selection.

(l) Order and directives, issued from time to time, of General Administration Department in respect to Age shall be applicable.

(2) **Educational Qualification:**–The candidate must posses the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(3) **Fees** :–The candidate must pay the fees prescribed by the appointing authority.

9. **Disqualification:**–Any attempt on the part of candidate to obtain support for his candidature by any means, may be held by the appointing Authority to disqualify him to admission in the examination/selection.

10. **Appointing Authority's decision about eligibility of candidate shall be final :**–The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination/ interview shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed for appearing in the examination/for being interviewed.

11. **Direct Recruitment by Competitive Examination / Selection :-**

(1) Direct Recruitment by Competitive Examination- Appointing Authority shall constitute selection committee consisting of three members.

(i) Competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, in consultation with the Government from time to time, determine.

(ii) The examination shall be held by the Selection Committee in accordance with the orders issued by the Appointing Authority from time to time.

(2) Direct recruitment by selection:-(i) Selection for recruitment to the service shall be made at such intervals, as the Appointing Authority may from time to time determine.

(ii) The selection of the candidates to the service shall be made by the Selection Committee by interviewing the, and.

(iii) Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority from time to time.

(3) There shall be reserved posts for the persons belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Lok Seva Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhde Vargon ke liye Aarakshan Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are the members of the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classess shall be considered for appointment in the order in which their name appear in the list referred to in Rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes, selected by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes, as the case may be, under sub-rule (3)

(6) At the stage of direct recruitment 30 (thirty) percent posts shall be reserved for women candidates in accordance with provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) Reservation for physically handicapped candidates shall be applicable as per the directions issued by General Administration Department.

(8) Where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for filling the posts by direct recruitment and in the opinion of Appointing Authority it is found that the sufficient number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates having requisite experience is not likely to be available for recruitment on the reserved posts, then the Appointing Authority may relax the condition of experience in respect of Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates and Other Backward Classes.

12- **List of Candidates Recommended by the Selection:-** (1) The Appointing Authority shall prepare a list arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the Selection Committee may determine and the list of candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, but are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions and Service) Rules, 1961 the candidate shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of the candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13- **Direct Recruitment by Selection in the post of Assistant Manager from Ministerial Services through limited competitive Examination:-** (1) For filling up the post of Assistant Manager by Selection from amongst the Ministerial Service of the Department as per clause (a-1) of sub-rule (1) of rule (6) the appointing authority shall hold annually at such time as he may determine a limited competitive examination in accordance with the scheme laid down in Schedule V.

(2) 16 and 20 percent and 14 percent of available vacancies for such appointment shall be reserved for candidates who are members of Scheduled Castes Scheduled Tribes and Other Backward classes respectively.

(3) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of Scheduled Castes Scheduled Tribes and other backward shall be considered for appointment in order in which their names appear in the list referred to in sub-rule (1) above irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(4) List of suitable candidates recommended for appointment- A list arranged in order of merit of the candidates, who have qualified themselves by such standard, as have been laid down in Schedule V. and of the candidates belonging to Scheduled Castes; Scheduled Tribes and Other Backward classes who though not qualified by that standard and declared by the appointing authority to be suitable for appointment with due regard to the maintenance of the efficiency of Administration, shall be prepared.

(5) Subject to the provisions of these rules, candidates will be considered for appointment to the available vacancies in order in which their names appear in the list. **(6)** the inclusion of a candidate name in the Select list confers no right to the appointment. Unless the appointing may be considered necessary, that the candidates is suitable in all respects for appointment to the service.

14- **Appointment by Promotion :– (1)** There shall be constituted a Committee, consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

Provided that, for the purpose of constitution of the Committee under this Sub-rule, that provisions of Section of the Chhattisgarh Lok Seva Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhde Vargon ke liye Aarakshan Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), shall also be adhered to

(2) The Committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Reservation in promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Civil services (Reservation in promotion and limits on the extent of zone of consideration) Rules, 2003.

(4) Procedure for making promotion in the vacancies shall be made in accordance with rules mentioned in sub-rule (3) and the instruction issued by the Government in the General Administration Department, from time to time.

15- **Conditions of Eligibility for Promotion/Transfer :–** (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the committee shall consider the cases of all persons, who on the first day of January of that year had completed such number of years of services, (whether officiating or substantive) on the posts from which promotion is to be made or on any other posts declared equivalent there to by the Government as specified in column (5) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation: - Method of Computation for Eligibility for Promotion- The calculation of the period of qualifying service on the 1st January of the year in which the Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is called for meeting is done from the year when the Government servant has attained the pay-scale of the respective feeder Cadre/post of service/post and not from the date he has attained the pay-scale.

(2) Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rule 2003 shall be valid for promotion.

16- **Preparation of the list of suitable candidates:** - (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 15 and are held by the committee to be suitable for promotion/transfer to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respect, with due regard to seniority.

(3) The name of the employees included in the list shall be arranged in order of seniority in the service of posts, as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of such select list as per Chhattisgarh Civil Service (General condition of Service) Rules 1961.

Explanation: - A person, whose name is included in the select list, but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

17- **Select List** :– (1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall from the select list for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (2) of Schedule IV to the posts mentioned in column (4) of the said Schedule.

(2) The select list for promotion shall be valid up to 31st December of the calendar year in which it is prepared.

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and the Departmental Promotion Committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

18- **Appointment to the service from the select list :– (1)** Appointment of the employees included in the select list shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rule-2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before the appointment of a person, whose name is included in the select list to the Service unless during the perio intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which, in the op of the appointing authority is such as to render him unsuitable for appointment service.

19- **Probation** :–Every person directly recruited to the service shall be appoir probation for a period of two years.

20- **Interpretation** :– If any question arises relating to the interpretation of these shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

21- **Relaxation** :- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge th the Governor to deal with the case of any person to whom, these rules ap manner as may appear to him to be just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt within any manner le than that provided in these rules

22- **Saving:-** Nothing in these rules affects reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Casts/Scheduled Tribe and other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

23- **Repeal and Saving :–** Resolution in force immediately before their commencement is repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VINOD GUPTA, Special Secretary.

SCHDULE -I
(See Rule 4-5)

Si.No.	Name of the post included in the service	No. Of Post	Classification	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Assistant Manager	104	Class - III Executive	4500-125-7000
2	Driver (Senior)	03	Class - III	3050-75-3950-80-4590
3	Driver	01	Class - III	2610-3540

SCHDULE -II
(See Rule 6)

Si.No	Name of Department	Name of Service	Total No. Of duty Posts	Percentage of the number of duty post to be filled in		
				By direct recruitment by selection	By promotion of member of the service	By transfer of persons from other services
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Commerce and Industries	Chhattisgarh State Industries (Class-III) Service Executive	104 Assistant Manager	1- 75% by direct 2- 25% by selection from ministerial service	-	-
2			03 Driver(Senior)	–	100% By Promotion	–
3			01 Driver	100% by direct	-	-

SCHDULE -III
(See Rule 8)

S.No	Name of Department	Name of service	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed Educational Qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Commerce and Industries	Chhattisgarh State Industries (Class-III) Service Executive 1- Assistant Manager	18 Year	35 Year	1-(A) Graduate Arts/Commerce/Science OR (B) Diploma any technical trade from recognized Institute of Engineering	-
2		2- Driver	18 Year	35Year	Eighth Exam passed with driving License	-

SCHDULE -IV
(See Rule 14 & 15)

S.No	Name of Department	Name of service or posts from which promotion is to be made	Pay Scale	Eligibility period	Name of Service or posts with pay scale to which promotion is to be made	Name of member of Departmental Promotion Committee (vide rule 13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1-	Department of Industries	Driver	2610-3540	5 year	Driver (Senior) (3050-4590)	Joint Director of Industries- **Chairman** Dy. Director of Industries / Asstt.Director (Sc/St) category **- Member** Dy. Director of Industries (Establishment) **Member Secretary**

SCHEDULE V

(See-Rule 13)

Scheme for filling up posts of Assistant Manager by Limited competitive examination from a amongst the ministerial services of Directorate of Industries

1- Title - This scheme will be called "The Scheme for filling up the posts of Assistant Manager by selection from amongst the ministerial service of Directorate of Industries2- Eligibility. - (a) Only such members of ministerial services of the Directorate of Industries will be eligible for getting the benefit of this scheme who possess the following qualifications, namely: -

(i) Who have been working on any ministerials posts in the Directorate of Industries for at least 5 years in permanent or officiating capacity?

(ii) Who possess the educational qualification prescribed for direct recruitment for the post of Inspector in Schedule III;

(iii) Whose age, on 1st January of that year in which selection is held, does not exceed of 40 (forty years) Maximum age limit for employees belonging to Schedule Castes and Scheduled Tribes will be 45 (Forty five) years.

(b) No person will be allowed to appear more than thee times in the examination under this scheme.

3. Selection - Selection for appointment shall be based on: (i) marks obtained at the written examination held under this scheme, and (ii) appraisal of the character rolls of the employee concerned for the last five years.

4. Examination- (i) There will be a written examination every year of at such intervals, on such date or dates and at such place or places as the appointing authority may decide.

(ii) In the written examination, there will be two question papers of 50 marks each. A candidate in order to be successful must obtain at least 50% marks in each paper separately.

(iii) Question papers will be got set by the appointing authority and will cover the following subjects: -

Question papers-I General Knowledge, General Hindi and Elementary Airthematic's.

Question papers-II Knowledge of ordinary Rules relating to Government Service. Knowledge of terminology used in the Directorate of Industries and brief introductory knowledge of relevant. Act and Rules .

(iv) Syllabus for the question papers will be as set out in Annexure-I

(v) Applications from employees desirous of appearing at the examination will be invited by the appointing authority at least one month before the date fixed for the examination and only those who are found eligible to appcar will be informed of the date, time and place of the examination.

(vi) Valuation of answer books will be done by Officers of the concerned Department nominated by the appointing authority.

(vii) A list of Employees who obtain 50% or more of total marks in the question papers' separately will be prepared.

5. Appraisal of Character rolls and final list of selection - (i) Confidential character rolls for five Years of those employees whose names appear in the list prepared as per para 4 (vii) above, shall be appraised by the departmental promotion Committee as per column (4) of the Schedule IV;

(ii) Each such employees as will be assignee marks out of 20 marks for each years Character Roll on the following basis: -

Outstanding/Very good.	20
Good.	15
Ordinary.	10

(iii) Total marks assigned to each employee on the basis of Character Rolls, out of 100, will be posted against the marks obtained by him at the Examination and totals will be struck;

(iv) Final list of selection will be prepared according to the total number of marks obtained at the Examination and in the appraisal of the Character Rolls. Appointment to the posts of Assistant Manager against the quota fixed for ministerial service will be made from this list according to the order in which the names appear;

(v) The inters seniority of the Ministerial employees appointed as Assistant Manager under this scheme, shall be based on the seniority given in the final list of selection prepared as above.

6. Probation. - Every employee appointed under this scheme shall be placed on probation for two years. During this period, he will have to undergo the training prescribed for the post, and pass the departmental examination, if prescribed, if any employees is not found suitable for the post of Assistant Manager during the probationary period he may be reverted to his original ministerial post, on reversion to the ministerial post, the period of service rendered during be reverted to his original ministerial post, on reversion to thc ministerial post, the period of service rendered during the probationary period of such reverted employee will be treated as period of service spent on his ministerial post.

ANNEXURE I

Syllabus of question papers

Question Paper I

(Total Marks : 50)

(Time : 2 1/2 Hrs.)

(i) General Knowledge (15 Marks.)

Questions based on general information relating to current events, Indian History, Indian Geography and allied topics, and question based on general information about Chhattisgarh pradesh (Only 3 Questions).

(ii) General Hindi (15 Marks.)

Brief questions based on difference between similar words Essay (Expression of thoughts) on any one subject in about 150 words (3 Question).

Question Paper II

(Total Marks : 50)

(Time : 2 1/2 Hrs.)

(i) Knowledge of Government Service Rule's

(20 Marks)

Elementary Knowledge of rules relating to pension, pay allowances, leave, General provident fund preliminary Knowledge of Rules of Recruitment in service, a basic Knowledge of rules relating to conduct and disciplinary proceeding of Government Servants (3 Questions)

(ii) Knowledge of Terminology

(15 Marks.)

General Knowledge of different designations and terminology in the Department, which carry specific meanings, Knowledge of which is necessary for day to day functioning.

(iii) Elementary Airthematic (20 Marks) Multiplication, Division Decimal fraction, percentage Profits & Loss Average, Area, Volume, Ratior Proporation (4 Questions)	(iii) **Knowledge of Rules Relating to Departments.** (15 Marks.) Names of various Acts, Rules etc. in which work of the Department is carried out. NOTE- (1) The department may set question papers in objective system or otherwise. (2) The above syllabus is only illustrative and not exhaustive the Department can make suitable changes in them as are considered necessary according to requirement of the Department.

रायपुर, दिनांक 7 जून 2008

क्रमांक एफ 8-2/2008/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमि., रायपुर के बायलर क्रमांक-सी. जी./91 को दिनांक 05-06-2008 से 04-09-2008 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) सदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 7 जून 2008

क्रमांक एफ 8-2/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स एन. टी. पी. सीं. लिमि., कोरबा के बायलर क्रमांक-एम. पी./3569 को दिनांक 19-04-2007 से 15-07-2007 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से कार्योत्तर छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 12 जून 2008

क्रमांक एफ 8-2/2008/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा ए. सी. सी. जामुल सीमेंट वर्क्स दुर्ग के बायलर क्रमांक-एम. पी./4413 को दिनांक 13-06-2008 से 30-09-2008 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 7 जून 2008

क्रमांक 76/अ. वि. अ./भू-अर्जन/05/अ-82/2007-2008.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	मालीडीह प. ह. नं. 4	0.43	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, महासमुन्द (छ. ग.)	कौआझर-पिरदा लहंगर मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 27 मार्च 2008

क्रमांक 21/अ-82/2005-06.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	चपोरा	0.149	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बिलासपुर.	आर. एम. के. के. रोड निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 7 जून 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/34/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	केशरपाल	1.528	कार्यपालन यंत्री, टी. डी. पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम जलाशय परियोजना के अन्तर्गत मुख्य नहर के माइनर नहरों के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर/कार्यपालन यंत्री, टी. डी. पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 7 जून 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/35/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	नहरनी	1.091	कार्यपालन यंत्री, टी. डी. पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम जलाशय परियोजना के अन्तर्गत मुख्य नहर के माइनर नहरों के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर/कार्यपालन यंत्री, टी. डी. पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 7 जून 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/36/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	केसरपाल	1.458	कार्यपालन यंत्री, टी. डी. पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम जलाशय परियोजना के अन्तर्गत माइनर नंबर-1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर/कार्यपालन यंत्री, टी. डी. पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 7 जून 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/37/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	केसरपाल	0.513	कार्यपालन यंत्री, टी. डी. पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम जलाशय परियोजना के अन्तर्गत माइनर नंबर-2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर/कार्यपालन यंत्री, टी. डी. पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 1 अ/82 वर्ष 2007-08/399.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	कामता प. ह. नं. 16	1354/2	0.045	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग, क्र.-3 तिल्दा, जिला-रायपुर, छ. ग.	सिमगा वितरक नहर के माइनर क्रमांक-1 के नहर निर्माण हेतु.
			1354/3	0.057		
			1357/5	0.275		
			1357/2	0.178		
			293	0.077		
			482/2	0.065		
			482/5	0.040		
			1354/1	0.101		
			320/1	0.040		
			464	0.004		
			1172	0.036		
			1358/1	0.304		
			1391/1	0.020		
			1340	0.340		
			1288/2	0.283		
			1288/1	0.085		
			1282/1	0.012		
			1290, 1292/1	0.004		
			1276	0.105		
			1258/1	0.312		
			1262	0.077		
			1259	0.040		
			1260	0.073		
			1279	0.004		
			1261	0.024		
			1196/1	0.089		
			120	0.093		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			320/2	0.024		
			1173	0.004		
			1358/3	0.053		
			1391/3	0.004		
			1289, 1293/1	0.400		
			1166, 1167	0.004		
			111	0.093		
			114	0.053		
			1171	0.089		
			112	0.008		
			1175	0.020		
			1341/1, 1341/2	0.214		
			113	0.065		
			108	0.028		
			119	0.004		
			320/4	0.049		
			110	0.040		
			109	0.089		
			101	0.138		
			100	0.069		
			97/1	0.012		
			98	0.069		
			96	0.004		
			94/2	0.045		
			99	0.049		
			482/4	0.089		
			71/2	0.065		
			246	0.036		
			161	0.028		
			166/1	0.081		
			162/2	0.089		
			294	0.053		
			295	0.012		
			297	0.004		
			296	0.089		
			291/1	0.036		
			324	0.057		
			327	0.004		
			291/2	0.057		
			290	0.134		
			289	0.142		
			245	0.138		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			243/1, 314	0.348		
			243/2	0.016		
			325	0.032		
			316, 317/3	0.121		
			315	0.154		
			317/2	0.198		
			321/3	0.061		
			321/1	0.109		
			463	0.024		
			468	0.117		
			469	0.016		
			467	0.138		
			466/2	0.028		
			484	0.130		
			482/3	0.008		
			481/2	0.732		
			478/10	0.028		
			1377/3	0.057		
			1376	0.004		
			1355/1	0.053		
			238	0.008		
			107	0.004		
			1355/4	0.069		
			82, 83	0.089		
			70/1	0.004		
			165/3	0.053		
			485/3	0.004		
			1277	0.202		
			1278	0.113		
			1168	0.073		
			1169	0.024		
			81	0.061		
			71/1	0.028		
			247	0.028		
			313	0.008		
			1355/2	0.008		
			166/2	0.028		
			योग 106	**8.702**		

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 2 अ/82 वर्ष 2007-08/396.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	बैकोनी प. ह. नं. 22	716, 717/1	0.113	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग, क्र.-3 तिल्दा, जिला-रायपुर, छ. ग.	सिमगा वितरक नहर के माइनर क्रमांक-1 के नहर निर्माण हेतु.
			720	0.053		
			423/2	0.020		
			719	0.125		
			722	0.130		
			712	0.024		
			724	0.040		
			709	0.198		
			723	0.040		
			725/1	0.045		
			558	0.182		
			706	0.182		
			10	0.008		
			531	0.348		
			535	0.138		
			705	0.012		
			725/2	0.016		
			708	0.073		
			707	0.089		
			556	0.032		
			557	0.085		
			559	0.028		
			537	0.004		
			539	0.263		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			7	0.150		
			427	0.053		
			527	0.032		
			11	0.109		
			528	0.183		
			529	0.057		
			425	0.004		
			8	0.166		
			429	0.008		
			426	0.243		
			430	0.125		
			375	0.223		
			153/1	0.004		
			374	0.024		
			376	0.020		
			156	0.206		
			155	0.032		
			121	0.040		
			152	0.231		
			154	0.130		
			120	0.324		
			118	0.032		
			114	0.101		
			115	0.01		
			39	0.462		
			40/1	0.526		
			9	0.081		
			2	0.134		
			113/1	0.020		
			113/4	0.073		
			113/3	0.081		
		कुल	**55**	**6.138**		

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 3 अ/82 वर्ष 2007-08/398.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	बनसांकरा प. ह. नं. 12	611	0.121	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग, क्र.-3 तिल्दा, जिला-रायपुर, छ. ग.	सिमगा वितरक नहर के माइनर क्रमांक-1 के नहर निर्माण हेतु.
			612	0.093		
			618	0.008		
			627	0.198		
			638	0.012		
			639	0.045		
			640	0.215		
			641	0.065		
			660	0.206		
			661	0.146		
			662	0.036		
			664	0.178		
			665	0.142		
		कुल	13	1.465		

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 4 अ/82 वर्ष 2007-08/397.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	नवागांव प. ह. नं. 16	1810/2	0.069	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग, क्र.-3 तिल्दा, जिला-रायपुर, छ. ग.	चक्रवाही वितरक नहर की नवागांव माइनर नहर निर्माण हेतु.
			1810/3	0.024		
		कुल	**2**	**0.093**		

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 5 अ/82 वर्ष 2007-08/400.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वणन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	डोंगरिया प. ह. नं. 18	1541	0.004	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग, क्र.-3 तिल्दा, जिला-रायपुर, छ. ग.	चक्रवाही वितरक नहर की नवागांव माइनर नहर निर्माण हेतु.
			1542	0.024		
			1540	0.004		
			1553	0.016		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1539	0.081		
			1563	0.045		
			1551	0.129		
			1561	0.117		
			1552	0.040		
			1562	0.036		
			1564	0.134		
			1566	0.045		
			1565	0.081		
		कुल	13	**0.756**		

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 6 अ/82 वर्ष 2007-08/401.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	हरिनभट्ठा प. ह. नं. 11	854/2	0.045	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प डिसनेट संभाग, क्र.-3 तिल्दा, जिला-रायपुर, छ. ग.	सिमगा वितरक नहर के माइनर क्रमांक-1 के नहर निर्माण हेतु.
			240	0.036		
			344	0.012		
			346	0.032		
			873	0.012		
			889	0.040		
			895	0.053		
			884	0.077		
			893	0.125		
			899	0.174		
			902	0.308		
			883	0.130		
			890	0.049		
			897	0.004		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			892	0.061		
			903	0.336		
			904	0.057		
			323	0.004		
			246	0.040		
			241	0.016		
			121	0.121		
			345	0.053		
			248	0.008		
			341	0.008		
			105	0.372		
			917	0.105		
			905	0.085		
			907	0.004		
			120	0.125		
			103	0.049		
			104	0.032		
			107	0.012		
			874	0.239		
			327	0.105		
			321	0.020		
			329	0.045		
			894	0.045		
			347	0.069		
			353	0.093		
			898	0.076		
			119	0.154		
			245	0.012		
			328	0.081		
			244	0.032		
			322	0.061		
			227	0.040		
			249	0.012		
			कुल 47	**3.669**		

रायपुर, दिनांक 13 मई 2008

क्रमांक 423/भू-अर्जन/वा./2008/प्र. क्र. 02 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	बरपानी प. ह. नं. 26	24/1, 26	0.061	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) बलौदा बाजार, जिला-रायपुर.	सलिहा, बिलारी मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
			36	0.241		
			140/1	0.008		
			25/2	0.044		
			24/7	0.024		
			24/4	0.056		
			140/2	0.008		
			24/5, 24/6	0.041		
			140/3	0.008		
			29	0.193		
			144	0.063		
			28/5	0.049		
			143/2	0.049		
			35/1 ख, 35/1 ग, 35/3 ख	0.224		
			35/1 घ	0.136		
			80, 81	0.481		
			82/2	0.016		
			137/3	0.008		
			137/2	0.008		
			138/3, 137/5	0.016		
			137/4, 138/2	0.016		
			137/6, 138/4	0.021		
			76/3, 146/1	0.203		
			147/3	0.008		
			147/6, 147/4	0.008		
			147/5	0.008		
			148/5	0.069		
			180, 183	0.097		
			48, 49, 49, 51, 59, 60, 62, 63,	0.181		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			35/1 च, 35/2 ख	0.241		
			34/2	0.101		
			34/1, 217/13	0.193		
			35/2 फ	0.049		
			148/1	0.361		
			148/2	0.081		
			150/1, 153/1, 154/4	0.241		
			150/2, 153/2	0.140		
			148/7	0.049		
			148/6	0.049		
			149/1	0.008		
			152	0.008		
			182/2	0.008		
			182/1	0.016		
			147/2	0.028		
			154/5	0.184		
			185/3	0.008		
			148/5	0.065		
			76/6, 146/2	0.057		
			147/9	0.008		
			147/10	0.016		
		योग	50	**4.361**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 जून 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-हाटी, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.765 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
552/2	0.304
1153	0.008
593	0.409

(1)	(2)
592	0.105
579	0.121
581/1	0.196
582/3	0.020
1178/1 क	0.065
582/2	0.020
581/2	0.073
582/1	0.057
581/3	0.008
583	0.135
584	0.182
1116	0.146
1118	0.061
1114/1	0.049
1115	0.024
1178/5	0.008
1121/1	0.016
1119/1 क	0.089
1156/2	0.109
1156/1	0.109
1179/1	0.226
1154/2	0.174
1119/2 ग	0.101
1154/1	0.085
1119/3	0.146
1174/2	0.032
1178/4	0.113
1178/3	0.122
1178/2	0.032
1234/1	0.364
1233/1	0.056
योग 34	3.765

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धरमजयगढ़ कोरबा मार्ग-सड़क निर्माण कार्य में अधिग्रहित भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़, मुख्यालय धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 7 जून 2008

क्रमांक/75/अ.वि.अ./भू-अर्जन/1-अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-महासमुन्द
  (ख) तहसील-महासमुन्द
  (ग) नगर/ग्राम-आमगांव, प. ह. नं. 119/66
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.24 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
वेस्ट वियर के अंतर्गत	
263	0.21
226	0.30
योग 2	0.51
नहर के अंतर्गत	
11	0.10
164	0.15
166	0.16
171/1	0.06
171/2	0.12
183	0.01
227	0.03
230	0.01

	(1)	(2)
	235	0.09
योग	9	0.73
महायोग	11	1.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-- आमगांव जलाशय के वेस्ट वियर एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2008

क्रमांक/12/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बिलासपुर
 (ख) तहसील-तखतपुर
 (ग) नगर/ग्राम-सकरी, प. ह. नं. 26
 (घ) लगभग क्षेत्रफल--18.33 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
42/9, 50/1	0.55
46, 268/2	0.55
49/2, 49/5	0.20
183/2 ख	0.35
187	0.30
188/2 ग	0.42
252/2	0.12
253	0.49
254	0.80
255	0.55
257	0.04
258, 280	1.36
278	0.80
275	0.53
278/1	0.13
279/2	0.30
281	0.11
297, 298	0.57
299, 300/1, 3111/5	0.70
310/1, 310/2	0.70
310/6, 311/1, 311/2	0.70
318/11 ख	0.60
318/11 ग	0.10
328/1	0.27
318/23 ख	0.15
387/1 च	0.20
318/11	0.10
318/23 क	0.10
318/22	0.15
416/2	0.10
322/2	0.20
327	0.85
369	0.05
387/2	0.30
387/1 ज	0.22
387/1 ग	0.10
387/1 म	0.06
406/1	0.56
387/1 ब, 387/1 ड, 398	0.15
400	0.27
401	0.18
404	0.40
405	0.10

(1)	(2)
416/1, 417	0.06
418/1	0.30
418/3, 419/1	0.25
418/2, 419/2	0.25
420/2	0.52
421/1	0.18
422/1	0.44
422/2	0.26
328/2	0.36
426/2	0.05
406/2	0.58
योग	18.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सकरी से तुरकाडीह, कोनी बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 26 मई 2008

क्रमांक 944/स्थापना/रा. मं./2008.—राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. ई-1-1/2008/एक/2, दिनांक 14-02-2008 द्वारा क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सरगुजा एवं बस्तर को पदेन सदस्य राजस्व मण्डल घोषित करने के फलस्वरूप इस न्यायालय के आदेश क्रमांक पीबीआर/2008/473, दिनांक 28-2-2008 के जरिये उन्हें क्रमशः जिला सरगुजा, कोरिया, जशपुर एवं जिला बस्तर, दन्तेवाड़ा, कांकेर जिलों के न्यायालयीन कार्य का प्रभार सौंपा गया था. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 2915/डी, 113/21-अ/प्रा./छ.ग./08, दिनांक 05-4-2008 (संशोधन अध्यादेश 2008 क्रमांक 1 सन् 2008) द्वारा आयुक्त प्रणाली लागू होने के कारण दोनों क्षेत्रीय विकास आयुक्त के पद समाप्त किये गये, फलस्वरूप राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश दिनांक 14-02-2008 अपने आप निष्प्रभावी (Infructious) होने के कारण अध्यक्ष एवं सदस्य के बीच न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई एवं निवर्तन हेतु निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है :—

(एक) राजस्व मण्डल की पीठ
राजस्व मण्डल की दो सदस्यीय पूर्ण पीठ होगी, जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी :—

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल एवं
2. सदस्य, राजस्व मण्डल

(दो) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा-7 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों के क्षेत्राधिकार के प्रकरण एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत प्रकरण

क्रमांक	अध्यक्ष/सदस्य	क्षेत्राधिकार
1.	श्री टी. राधाकृष्णन, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़	राजस्व जिला बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, अंबिकापुर, रायपुर, धमतरी, महासमुन्द, बस्तर (जगदलपुर), दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), बीजापुर एवं नारायणपुर.
2.	श्री आर. सी. सिन्हा सदस्य, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़	राजस्व जिला रायगढ़, कोरबा, जशपुर, कोरिया, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा एवं कांकेर.

(तीन) स्थगन आवेदन पत्र

अध्यक्ष अथवा सदस्य की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय के स्थगन आवेदन पत्रों की सुनवाई की व्यवस्था निम्नानुसार की जावेगी.

क्रमांक	अनुपस्थित न्यायालयीन अध्यक्ष/सदस्य	सुनवाई हेतु न्यायालय
1.	श्री टी. राधाकृष्णन, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़	श्री आर. सी. सिन्हा, सदस्य, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़
2.	श्री आर. सी. सिन्हा, सदस्य, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़	श्री टी. राधाकृष्णन, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़

(चार) विशेष परिस्थिति में प्रकरणों की सुनवाई एवं क्षेत्राधिकार के संबंध में अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़ के द्वारा निर्णय लिया जायेगा.

(पांच) प्रकरणों की सुनवाई हेतु नियत दिवस

(एक) श्री टी. राधाकृष्णन
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़

(1) सर्किट कोर्ट, रायपुर
सामान्यत: बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार को

(2) राजस्व मण्डल मुख्यालय बिलासपुर में
सामान्यत: माह के (अंतिम सप्ताह को छोड़कर) प्रत्येक सप्ताह के सोमवार एवं मंगलवार को

(3) सर्किट कोर्ट, जगदलपुर
सामान्यत: माह के अंतिम सप्ताह में गुरुवार, शुक्रवार को

(दो) श्री आर. सी. सिन्हा,
सदस्य, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़

राजस्व मण्डल मुख्यालय, बिलासपुर में
सामान्यत: बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार को

सर्किट कोर्ट रायपुर में
सोमवार एवं मंगलवार को

(छै:) प्रकरण की सुनवाई हेतु नियत समय

(1) न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई कार्य दिवसों में सामान्यत: प्रात: 11.00 बजे से आरंभ होकर अपरान्ह 2.00 बजे तक.

(2) सामान्यत: शनिवार को प्रकरणों की सुनवाई नहीं होगी.

(सात) प्रकरणों के पंजीकरण की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी.

यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

हस्ता./-
(आर. जी. के. पिल्लई)
सचिव

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला कबीरधाम

कबीरधाम, दिनांक 11 जून 2008

क्रमांक 600/अ.भू.अ./2008.—छत्तीसगढ भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, जिले में दो पंचायतों का एक पटवारी हल्का के आधार पर जिले में कुल 188 पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं।

::तहसील बोडला सूची::

क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का		ग्राम पंचायत		पटवारी हल्का के अन्तर्गत आने वाले ग्राम	
			प. ह. न.	मुख्यालय	क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	क्र.	ग्राम पंचायतवार नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बोडला	बोडला	1	चेन्द्रादादर	1	चेन्द्रादादर	1	चेन्द्रादादर
							2	कोयलारी
							3	सजाटोला
							4	मुकाम
							5	बंधौरा
					2	पिपरखूंटा	6	पिपरखूंटा
							7	रबदा
							8	बनगौरा
							9	हडही
							10	बाधा
						योग :–		**10 ग्राम**
2			2	दलदली	3	दलदली	11	दलदली
							12	बम्हनतरा
							13	बरघाट
							14	सेमसाटा
							15	दरई
							16	सलगी
							17	सुकंझर
							18	भुरसीपकरी
							19	अंधरीकछार
					4	केसमरदा	20	केसमरदा
							21	बांकी
							22	मुंडादादर
							23	झोला
							24	खुर्रीपानी
							25	कुरकी
							26	गभौडा
						योग :–		**16 ग्राम**

3			3	लरबक्की	5	लरबक्की	27	लरबक्की
							28	धूमाछापर
							29	बदनापानी
							30	पकरीपानी
					6	आमानार	31	आमानारा
							32	धनवाही
							33	गंडाघाट
							34	बरपानी
							35	झुरगीदादर
						योग :—		**09 ग्राम**
4			4	तरेगांव	7	तरेगांव	36	तरेगांव
							37	दुर्जनपुर
					8	कुकरापानी	38	कुकरापानी
							39	भोथियापथरी वन ग्राम
							40	जागपानी
							41	कोटरापानी
							42	भरतपुर
							43	लीलादादर
						योग :—		**08 ग्राम**
5			5	छुही	9	छुही	44	छुही
							45	गुढली
					10	बांटापथरा	46	बांटापथरा
							47	राली
						योग :—		**04 ग्राम**
6			6	मगरवाडा	11	मगरवाडा	48	मगरवा
							49	दुल्लापुर
							50	अमेरा
					12	मुडघुसरी	51	मुडघुसरी
							52	ठाकुरटोला
							53	कोमो
							54	सोनतरा
							55	सोनतराप्लाट
						योग :—		**08 ग्राम**
7			7	बैजलपुर	13	बैजलपुर	56	बैजलपुर
							57	गांगचुवा
							58	तरसिंग
							59	सिघारी
					14	बोदा	60	बोदा
							61	जोकपानी
							62	पचराही
							63	पुतकी
							64	बसोहर सिल्ली वीरान

							65	रबदा
							66	सिल्ली
							67	सिल्लीप्लाट
						योग :–		**12 ग्राम**
8			8	बोरिया	15	बोरिया	68	बोरिया
							69	अंधरीकछार
							70	घिसाटोला
							71	जुनवानी
							72	कांपा
							73	कांपा प्लाट
							74	घोटा प्लाट
					16	खंडसरा	75	खंडसरा
							76	घोटा
						योग :–		**09 ग्राम**
9			9	मडमडा	17	मडमडा	77	मडमडा
					18	छांटा	78	छांटा
							79	सिरमी
						योग :–		**03 ग्राम**
10			10	भलपहरी	19	भलपहरी	80	भलपहरी
							81	भलपहरीप्लाट
							82	अचानकपुर
					20	कबराटोला	83	कबराटोला
							84	बोईरकछरा
							85	महली
						योग :–		**06 ग्राम**
11			11	खडौदाखुर्द	21	खडौदाखुर्द	86	खडौदाखुर्द
							87	कां ीपानी
							88	कामाडबरा
							89	कांदापारा
					22	खरिया	90	खरिया
							91	सरई
							92	मुडघुसरी
							93	मुडघुसरीप्लाट वीरान
							94	मंदीभादा कला वीरान
							95	मंदीभादा कलाप्लाट
							96	कोकदा वीरान
							97	कांशीपानीप्लाट वीरान
						योग :–		**12 ग्राम**
12			12	बैरख	23	बैरख	98	बैर,ख
							99	बंजारी
							100	पालक
							101	चौरभट्ठी
							102	थुहापानी वन ग्राम

						24	बोक्करखार	103	बोक्करखार
								104	बरहापानी
								105	कुंडपानी
								106	महलघाट
								107	भांभुपीपर
								108	कबरीपथरा
								109	टामापानी
								110	मांदीभंदा खुर्द
							योग :—		**13 ग्राम**
13				13	भीरा	25	भीरा	111	भीरा
								112	छिरपानी
								113	अगरी
						26	ढोलबज्जा	114	ढोलबज्जा
								115	आमानारा
								116	नेवराटोला
								117	मक्केकोन्हा
								118	भाक्तिपानी
								119	पेण्डी
							योग :—		**09 ग्राम**
14				14	भोदा	27	भोदा	120	भोदा
						28	बोल्दाकला	121	बोल्दाकला
								122	बोल्दाकलाखुर्द
								123	बोल्दाकलाप्लाट
								124	जोगीनवागांव
								125	जोगीनवागांवप्लाट वीरान
							योग :—		**06 ग्राम**
15				15	तरेगांव मैदान	29	तरेगांव मैदान	126	तरेगांव मैदान
								127	लालपुर खुर्द
						30	नेउरगांव कला	128	नेउरगांव कला
							योग :—		**03 ग्राम**
16				16	सिल्हाटी	31	सिल्हाटी	129	सिल्हाटी
						32	मानिकपुरी	130	मानिकपुरी
							योग :—		**02 ग्राम**
17				17	गण्डई खुर्द	33	गण्डई खुर्द	131	गण्डई खुर्द
								132	खुरमुण्डा
						34	कुसुमघटा	133	कुसुमघटा
							योग :—		**03 ग्राम**
18				18	खडौदाखुर्द	35	खडौदाखुर्द	134	खडौदाखुर्द
						36	गण्डईकला	135	गण्डईकला
								136	कारेसरा
								137	खरहट्टा
							योग :—		**04 ग्राम**
19				19	सारंगपुर	37	सारंगपुर	138	सारंगपुर
						38	भरेली	139	भरेली
								140	लोहझरी
							योग :—		**03 ग्राम**

20			20	बैहरसरी	39	बैहरसरी	141	बैहरसरी
					40	बघर्रा	142	बघर्रा
							143	उसलापुर
						योग :–		**03 ग्राम**
21			21	पोंडी	41	पोंडी	144	पोंडी
					42	नेउरगांव खुर्द	145	नेउरगांव खुर्द
						योग :–		**02 ग्राम**
22			22	बोडला	43	बोडला	146	बोडला
					44	मंडलाटोला	147	मंडलाटोला
							148	सुकवारा
							149	घोसर्रा
						योग :–		**04 ग्राम**
23			23	घोंघा	45	घोंघा	150	घोंघा
							151	चंहटा
							152	जैताटोला
					46	खैरबनाखुर्द	153	खैरबनाखुर्द
							154	खुर्सीपार
						योग :–		**05 ग्राम**
24			24	मिनमिनिया मैदान	47	मिनमिनिया मैदान	155	मिनमिनिया मैदान
							156	मोंतिमपुर
						योग :–		**02 ग्राम**
25			25	लेंजाखार	48	लेंजाखार	157	लेंजाखार
							158	लखनपुर खुर्द
							159	पोंडीटोला
					49	मरियाटोला	160	मरियाटोला
							161	मुडियापारा
						योग :–		**05 ग्राम**
26			26	परभाटोला	50	परभाटोला	162	परभाटोला
							163	रीवापार
							164	परसाहा
					51	रहगी	165	रहगी
							166	बुधवारा
						योग :–		**05 ग्राम**
27			27	हरिनछपरा	52	हरिनछपरा	167	हरिनछपरा
							168	राम्हेपुर
							169	चण्डालपुर
					53	भालुचुवा	170	भालुचुवा
						योग :–		**04 ग्राम**
28			28	रघ्घुपारा	54	रघ्घुपारा	171	रघ्घुपारा
							172	तिलाईभाठ
							173	बिसंनपुरा
					55	बद्दों	174	बद्दों
							175	लाटों
						योग :–		**05 ग्राम**
29			29	राजानवागांव	56	राजानवागांव	176	राजानवागांव

					57	बाघुटोला	177	बाघुटोला
							178	लाटो
						योग :–		**05 ग्राम**
30			30	अचानकपुर	58	चिखली	179	चिखली
							180	अचानकपुर
							181	ढोगईटोला
							182	ढोगईटोला प्लाट
					59	रौंचन	183	रौंचन
							184	बरकुही
						योग :–		**06 ग्राम**
31			31	चिमरा	60	चिमरा	185	चिमरा
					61	बरहट्ठी	186	बरहट्ठी
							187	अमरौडी
							188	सेवईकछार
						योग :–		**04 ग्राम**
32			32	बेंदरची	62	बेंदरची	189	बेंदरची
							190	जैतपुरी
					63	सरेखा	191	सरेखा
							192	बरभांवर
							193	मदनाभेदी
						योग :–		**05 ग्राम**
33			33	महराजपुर	64	महराजपुर	194	महराजपुर
							195	बाम्हनटोला
							196	जीताटोला
					65	जेवडनकला	197	जेवडनकला
							198	डगनिया
							199	तारो
						योग :–		**06 ग्राम**
34			34	खैरबनाकला	66	खैरबनाकला	200	खैरबनाकला
					67	कांपा	201	कांपा
						योग :–		**02 ग्राम**
35			35	लालपुरकला	68	लालपुरकला	202	लालपुरकला
							203	सिधनपुरी
							204	हाथीडोब
					69	बांधा	205	बांधा
							206	केसदा
							207	झण्डी
							208	महराजपुरडीह
							209	मण्डलाकोन्हा
							210	धनडुबरा
							211	प्रतापगढ
							212	चौकी
							213	सगौनाडीह

							214	किसनुगढ
							215	सरोधा
							216	अमलीदादर वनग्राम
						योग :–		**15 ग्राम**
36			36	छपरी	70	छपरी	217	छपरी
							218	दियाबार
							219	दियाबारप्लाट
							220	चौरा
							221	रजपुरा
							222	सरकीकछार
					71	कटगो	223	कटगो
							224	हरमो
							225	भंवरटोला
							226	बकौदा
							227	दुरदुरी
							228	थंवरटोला
							229	टेडगासाल्हे
							230	सिंगपुर
							231	भंडारडबरा
						योग :–		**15 ग्राम**
37			37	चिल्फी	72	चिल्फी	232	चिल्फी
							233	बेंदा वनग्राम
					73	राजाढार	234	राजाढार
							235	सरोधादादर
							236	तुरैयाबाहरा
							237	धवाईपानी
							238	जामपानी
							239	बेलापानी
						योग :–		**08 ग्राम**
38			38	बहनाखोदरा	74	बहनाखोदरा	240	बहनाखोदरा
							241	सिवनीकला
							242	माराडबरा
							243	सिंघनपुरी
							244	प्रभुडोला
					75	लूप	245	लूप
							246	भोथी
							247	दुलदुला
							248	साल्हेवारा
						योग :–		**09 ग्राम**
39			39	शीतलपानी	76	शीतलपानी	249	शीतलपानी
							250	लरिया
							251	दादूटोला
							252	मछियाकोन्हा
							253	खिलाही उर्फ बालसमुंद

					77	झलमला	254	झलमला
							255	सोनहाडबरा वीरान
							256	सोनवाही
						योग :–		**08 ग्राम**
40	बोडला	रेंगाखारकला	40	समनापुर	78	समनापुर	257	समनापुर
							258	दरिया
							259	कोकदा
							260	बन्दुककुन्दाउर्फ सिलियारी
					79	बरबसपुर	261	बरबसपुर
							262	नंदिनी
							263	बरेण्डापानी
							264	कुमान
							265	झरपट वीरान
						योग :–		**09 ग्राम**
41			41	तितरी	80	तितरी	266	तितरी
							267	उमरिया
							268	तितरीप्लाट
							269	अंजना
							270	तरमा वनग्राम
					81	रोल	271	रोल
							272	सुपखार वनग्राम
							273	सुतिया वनग्राम
							274	रोलप्लाट
						योग :–		**09 ग्राम**
42			42	बम्हनी	82	बम्हनी	275	बम्हनी
							276	लहबर
							277	अगरी
							278	अडवार
					83	जामुनपानी	279	जामुनपानी वनग्राम
							280	मुडवाही
							281	बोदलपानी
						योग :–		**07 ग्राम**
43			43	रेंगाखार कला	84	रेंगाखार कला	282	रेंगाखार कला
							283	नागवाही वनग्राम
					85	सिवनीखुर्द	284	सिवनीखुर्द
							285	बरेंडा
							286	सिवनी उर्फ रामपुरप्लाट
						योग :–		**05 ग्राम**
44			44	भेलवाटोला	86	भेलवाटोला	287	भेलवाटोला
							288	आमाखोडरा
					87	सरईपतेरा	289	सरईपतेरा
							290	धामिनडीह
							291	चमारी
						योग :–		**05 ग्राम**

45			45	उसरवाही	88	उसरवाही	292	उसरवाही
					89	लोहारीडीह	293	लोहारीडीह
							294	भिमौरी
						योग :–		**03 ग्राम**
46			46	खारा	90	खारा	295	खारा
							296	डोंगरिया
					91	पंडरिया	297	पंडरिया
							298	नेवासपुर
							299	बहेराखार
							300	मोतिमपुर
							301	नेवासपुरप्लाट
						योग :–		**07 ग्राम**
47			47	खम्हरिया	92	खम्हरिया	302	खम्हरिया
							303	मुढीपार
							304	गिधनखार
					93	भोंदा	305	भोंदा
							306	मोहनटोला
							307	जमुनिया
							308	बछरुकोनहा
							309	गर्रा
							310	करमदाकला
							311	लावा
							312	तेंदूटोला
						योग :–		**11 ग्राम**
48			48	कोयलारझोरी	94	कोयलारझोरी	313	कोयलारझोरी
							314	कुरमा
							315	कन्हारीझोरी
							316	छितपुरीखुर्द
							317	छितपुरीखुर्दकला
							318	बखारीपानी
					95	पंड़ीपानी	319	पंड़ीपानी
							320	बोल्दा
							321	सौरु
							322	खगरहा
							323	बेरला
							324	घानीखूंटा
							325	परसाही
							326	रानीगुडा
						योग :–		**14 ग्राम**
49			49	मिनमिनिया	96	मिनमिनिया	327	मिनमिनिया
							328	बोदलपानी
							329	गंजईडबरी
							330	भालापुरी
							331	घुधवादादर
							332	अकलाआमा विरान
							333	तेलीटोला
							334	छिंदहा विरान

							335	चेलिकआमा
					97	नवागांव	336	नवागांव
							337	सरोधी
							338	घटोला
					98	कंटगीकला	339	कंटगीकला
							340	पालक
							341	भनसुरा
							342	कंटगीकलाखुर्द
							343	मोहनपुर
							344	जुनवानी
						योग :–		**18 ग्राम**
	तहसील बोडला		**49**		**98**	**कुल ग्राम**	**344**	**ग्राम**

सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी,
कलेक्टर.

तहसील कवर्धा में दो पंचायतों का एक पटवारी हल्का के आधार पर हल्का पुनर्गठन की सूची निम्नानुसार हैं

सूची

क	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का		ग्राम पंचायत		पटवारी हल्का के अन्तर्गत आने वाले ग्राम	
			प. ह. न.	मुख्यालय का नाम	क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	क्र.	ग्राम का नाम पंचायतवार
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	कवर्धा	कवर्धा–1	1	सिंघनपुरी	1	सिंघनपुरी	1	सिंघनपुरी
							2	गागचुवा
					2	रेंगाखार खुर्द	3	रेंगाखार खुर्द
							4	कोडार
						योग :–		**04 ग्राम**
2			2	समनापुर	3	समनापुर	5	समनापुर
							6	मोटियारी
					4	जोराताल	7	जोराताल
							8	अमलीडीह
							9	तालपुर
						योग :–		**05 ग्राम**
3			3	नेवारी	5	नेवारी	10	नेवारी
					6	बरबसपुर	11	बरबसपुर

						12	डबराभाठ
						13	बिजाझोरी
					योग :–		**04 ग्राम**
4		4	जेवडनखुर्द	7	जेवडनखुर्द	14	जेवडनखुर्द
						15	बांझीमौहा
						16	चारभाठाा
						17	बिजई
				8	मरपा	18	मरपा
						19	जमुनिया
					योग :–		**06 ग्राम**
5		5	सोनबरसा	9	सोनबरसा	20	सोनबरसा
						21	गदहा भाठा
				10	सेमो	22	सेमो
						23	सिंघनपुरी
						24	मानपुर
					योग :–		**05 ग्राम**
6		6	बटुराकछार	11	बटुराकछार	25	बटुराकछार
						26	कोदवा
						27	सिंघनपुरी
				12	खडौदाखुर्द	28	खडौदाखुर्द
						29	मदनपुर
					योग :–		**05 ग्राम**
7		7	दौजरी	13	दौजरी	30	दौजरी
						31	घुकसा
				14	जरती	32	जरती
						33	नाउडीह
					योग :–		**04 ग्राम**
8		8	सुखाताल	15	सुखाताल	34	सुखाताल
				16	बोधईकुण्डा	35	बोधईकुण्डा
						36	दशरंगपुर खुर्द
						37	खैरीपार
					योग :–		**04 ग्राम**
9		9	रबेली	17	रबेली	38	रबेली
				18	राम्हेपुरखुर्द	39	राम्हेपुरखुर्द
						40	सिंघनपुरी
						41	सुरजपुरा
					योग :–		**04 ग्राम**
10		10	नेवारीगुढा	19	नेवारीगुढा	42	नेवारीगुढा
						43	दुल्लापुर
				20	कान्हा भैरा	44	कान्हा भैरा
					योग :–		**03 ग्राम**
		11	लखनपुर कला	21	लखनपुर कला	45	लखनपुर कला
						46	लालपुर
				22	पथर्रा	47	पथर्रा

							48	आंछी
							49	मक्के
						योग :—		**05 ग्राम**
12			12	खैरझिटी	23	खैरझिटी	50	खैरझिटी
							51	बानों
							52	दलपुरुवा
					24	खैरवार	53	खैरवार
							54	जोगीपुर
						योग :—		**05 ग्राम**
13			13	मोहगांव	25	मोहगांव	55	मोहगांव
							56	छांटा
					26	गांगपुर	57	गांगपुर
							58	नवघटा
						योग :—		**04 ग्राम**
14			14	कोको	27	कोको	59	कोको
							60	भेलवाभांवर
							61	बैजलपुर
					28	बारदी	62	बारदी
							63	गोरखपुर
							64	बरदुली
						योग :—		**06 ग्राम**
15			15	पिपरिया	29	पिपरिया	65	पिपरिया
					30	खाम्ही	66	खाम्ही
							67	दरगंवा
						योग :—		**03 ग्राम**
16			16	कोठार	31	कोठार	68	कोठार
					32	चरडोंगरी	69	चरडोंगरी
							70	झिरना
							71	दुल्लापुर
						योग :—		**04 ग्राम**
17			17	घुघरीकला	33	घुघरीकला	72	घुघरीकला
							73	खुंटू
					34	घुघरीखुर्द	74	घुघरीखुर्द
							75	सारंगपुरकला
							76	नवागांव फरीद
						योग :—		**05 ग्राम**
18			18	कवर्धा	35	कवर्धा	77	कवर्धा नगरपालिका
19			19	मजगांव	36	मजगांव	78	मजगाव
							79	सगौना
					37	घोठिया	80	घोठिया
							81	झलका
						योग :—		**04 ग्राम**
20			20	भागूटोला	38	भागूटोला	82	भागूटोला
							83	चिमागोंदी
					39	मैनपुरी	84	मैनपुरी
							85	मुड़घुसरी
						योग :—		**04 ग्राम**

21			21	धमकी	40	धमकी	86	धमकी
					41	बदराडीह	87	बदराडीह
							88	महराटोला
							89	सोहागपुर
						योग :–		**04 ग्राम**
22	कवर्धा	कवर्धा–2	22	छांटा झा	42	छांटा झा	90	छांटा झा
					43	लासाटोला	91	लासाटोला
							92	मडमडा
							93	रघुनाथपुर
						योग :–		**04 ग्राम**
23			23	बम्हनी	44	बम्हनी	94	बम्हनी
					45	बन्दौरा	95	बन्दौरा
							96	ठकुराईन टोला
						योग :–		**03 ग्राम**
24			24	जिन्दा	46	जिन्दा	97	जिन्दा
					47	मिरमिट्टी	98	मिरमिट्टी
							99	कुटकीपारा
							100	दुबहा
						योग :–		**04 ग्राम**
25			25	लिमो	48	लिमो	101	लिमो
							102	जुनवानी
							103	नवागांव तिवारी
					49	भेदली	104	भेदली
							105	कुटेली
							106	थुहाडीह
							107	खैराझिटी खुर्द
						योग :–		**07 ग्राम**
26			26	छिरहा	50	छिरहा	108	छिरहा
					51	बीरुटोला	109	बीरुटोला
							110	बाघूटोला
							111	नवागांव
						योग :–		**04 ग्राम**
27			27	सोनपुरी	52	सोनपुरी	112	सोनपुरी
					53	दुल्लापुर	113	दुल्लापुंर
							114	मगरदा
							115	भीमपुरी
						योग :–		**04 ग्राम**
28			28	बिरकोना	54	बिरकोना	116	बिरकोना
					55	पालीगुडा	117	पालीगुडा
							118	परसवारा
						योग :–		**03 ग्राम**
29			29	धरमपुरा	56	धरमपुरा	119	धरमपुरा
					57	मानिकचौरी	120	मनिकचौरी
						योग :–		**02 ग्राम**
30	कवर्धा	दशरंगपुर	30	इन्दौरी	58	इन्दौरी	121	इन्दौरी
					59	बहरमुडा	122	बहरमुडा
						योग :–		**02 ग्राम**

31			31	कोसमंदा	60	कोसमंदा	123	कोसमंदा
					61	झिरौनी	124	झिरौनी
						योग :—		**02 ग्राम**
32			32	पनेका	62	पनेका	125	पनेका
					63	हीरापुर	126	हीरापुर
							127	चुचरुंगपुर
							128	चोरभट्ठी
						योग :—		**04 ग्राम**
			33	पेण्ड्रा	64	पेण्ड्रा	129	पेण्ड्रा
							130	बाघामुडा
							131	खैरा
					65	दुधिया	132	दुधिया
							133	अगरीकला
							134	बैजी
							135	ज्ञानपुर
						योग :—		**07 ग्राम**
34			34	दशरंग पुर	66	दशरंगपुर	136	दशरंगपुर
							137	खण्डसरा
						योग :—		**02 ग्राम**
35			35	केसली	67	केसली	138	केसली
							139	बिटकुलीकला
					68	बीरनपुर	140	बीरनपुर
							141	बिसनपुरा
							142	लिटीपुर
						योग :—		**05 ग्राम**
36			36	झलमला	69	झलमला	143	झलमला
							144	गोपालभौंना
					70	खपरी	145	खपरी
						योग :—		**03 ग्राम**
37			37	डेहरी	71	डेहरी	146	डेहरी
							147	नवागांव
					72	घिरघोसा	148	घिरघोसा
							149	धोरेवारा
							150	पंडरिया
							151	लघान
						योग :—		**06 ग्राम**
38			38	मरका	73	मरका	152	मरका
							153	जैतपुरी
							154	हेडपपुर
					74	गेगडा	155	गेगडा
							156	डौकाबाधां
							157	देवरी
						योग :—		**06 ग्राम**
39			39	धौराबद	75	धौराबद	158	धौराबद
							159	गथानीकला
					76	धनौरा	160	धनौरा

							161	मानपुर
							162	लोचन
						योग :–		**05 ग्राम**
40			40	कोयलारी	77	कोयलारी	163	कोयलारी
							164	कोयलारीडीह
					78	कृतबांधा	165	कृतबांधा
							166	मथानीखुर्द
						योग :–		**04 ग्राम**
41			41	चचेडी	79	चचेडी	167	चचेडी
							168	फांदातोड
							169	बिटकुलीखुर्द
							170	सिंघनपुरी
					80	बिपतरा	171	बिपतरा
							172	अमलीडीह
							173	ढुनुपार
						योग :–		**07 ग्राम**
42			42	गुढा	81	गुढा	174	गुढा
							175	बेरदेही
					82	सोनपुरी	176	सोनपुरी
							177	भुरकुडा
							178	बोटेपार
							179	नवागांव
						योग :–		**06 ग्राम**
43			43	बानो	83	बानो	180	बानो
							181	कुआं
					84	तमरुवा	182	तमरुवा
							183	चुचरुंगपुर
						योग :–		**04 ग्राम**
	तहसील कवर्धा				**84**	**कुल ग्राम**		**183**

सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी,
कलेक्टर.

तहसील स.लोहारा. में दो पंचायतों का एक पटवारी हल्का के आधार पर हल्का पुनर्गठन की सूची निम्नानुसार हैं

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का		ग्राम पंचायत		पटवारी हल्का के अन्तर्गत आने वाले ग्राम	
			प.ह.न.	मुख्यालय का नाम	क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	क्र.	ग्राम का नाम पंचायतवार
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	स.लोहारा	स.लोहारा	1	गांगपुर	1	गांगपुर	1	गांगपुर
							2	भठैलाटोला

					2	सिंगारपुर	3	सिगारपुर
							4	सोनपुर
							5	कौहापानी
						योग :–		**05 ग्राम**
2			2	बचेडी	3	बचेडी	6	बचेडी
							7	कौहारी
							8	मजगांव
							9	तुमडीलेवा
							10	सलिहा
					4	चंदेनी	11	चंदेनी
							12	गुलालपुर
							13	नवागांव
						योग :–		**08 ग्राम**
3			3	बरौदाकला	5	बरौदाकला	14	बरौदाकला
							15	बरौदाखुर्द
							16	बितली
					6	दैहानडीह	17	दैहानडीह
							18	पडकीपानी
							19	सहसपुर
						योग :–		**06 ग्राम**
4			4	महराटोला	7	महराटोला	20	महराटोला
							21	कुटकीपारा
							22	किनरीटोला
							23	रेलई
							24	सिंघरापारा
					8	छिरबांधा	25	छिरबांधा
							26	कुरलू
							27	इरीबकसा
						योग :–		**08 ग्राम**
5			5	सारी	9	सारी	28	सारी
							29	खडौदा
					10	बीरनपुर	30	बीरनपुर कला
							31	तालपुर
						योग :–		**04 ग्राम**
6			6	जरहाटोला	11	जरहाटोला	32	जरहाटोला
							33	आमागांव
							34	धनगांव
							35	जामगांव
					12	राम्हेपुर	36	राम्हेपुर
							37	दलसाटोला
						योग :–		**06 ग्राम**
7			7	स.लोहारा	13	स.लोहारा	38	स.लोहारा
					14	बांधाटोला	39	बांधाटोला
							40	भीमपुरी
							41	सोनपुरी
						योग :–		**04 ग्राम**

8		8	बानो	15	बानो	42	बानो
						43	केजादाड
						44	जगमडवा
						45	डुमरिया
				16	छोटूपारा	46	छोटूपारा
						47	पीपरटोला बड़ें
						48	बेलहरी
					योग :—		**07 ग्राम**
9		9	बामी	17	बामी	49	बामी
						50	पीपरटोला छोटे
						51	बनखैरा
						52	भेंसबोड
				18	कोयलारी	53	कोयलारी
					योग :—		**05 ग्राम**
10		10	कल्याणपुर	19	कल्याणपुर	54	कल्याणपुर
						55	खजरीकला
						56	खजरीखुर्द वीरान
				20	बासीनझोरी	57	बासीनझोरी
						58	लखनपुर
					योग :—		**05 ग्राम**
11		11	सिल्हाटी	21	सिल्हाटी	59	सिल्हाटी
				22	बिचारपुर	60	बिचारपुर
						61	तिलाईभाठ
						62	बाम्हनटोला
					योग :—		**04 ग्राम**
12		12	कुरुवा	23	कुरुवा	63	कुरुवा
						64	अमलीडीह
						65	कामनबोड
						66	खैरा
				24	भिमौरी	67	भिमौरी
					योग :—		**05 ग्राम**
13		13	सिंघनपुरी	25	सिंघनपुरी	68	सिंघनपुरी
				26	पवनतरा	69	पवनतरा
						70	नवागांव वीरान
						71	भादुटोला
					योग :—		**04 ग्राम**
14		14	मोतिनपुर	27	मोतिनपुर	72	मोतिनपुर
						73	कनवाटोला
						74	गौधाटोला वीरान
						75	नवागांव
						76	भेंडरा
						77	रानीदहरा
				28	सोनझरी	78	सोनझरी
						79	बिगारभरी

								80	बोटेसूर
								81	सरईपतेरा
							योग :—	82	**10 ग्राम**
15			15	धनौरा	29	धनौरा		83	धनौरा
									टाटावाही
					30	खोलवा		84	खोलवा
								85	कटोरी
								86	कुम्हारी
								87	रेंदाखाम्ही
								88	चनाटोला वीरान
							योग :—	89	**07 ग्राम**
16			16	पेण्ड्रीतरई	31	पेण्ड्रीतरई		90	पेण्ड्रीतरई
									सुरजपुरा
								91	पिरचाटोला
					32	बिडौरा		92	बिडौरा
								93	धनगांव
								94	नूनछापर
							योग :—	95	**06 ग्राम**
17			17	रक्से	33	रक्से		96	रक्से
									नरोधी
					34	बबई		97	बबई
								98	भैंसबोड
							योग :—	99	**04 ग्राम**
18	स.लोहारा	वी.नगर	18	लाखाटोला	35	लाखाटोला		100	लाखाटोला
									ढोढमानवापारा
								101	बरपेलाटोला
					36	बीजाबैरागी		102	बीजाबैरागी
								103	जंगलपुर
								104	भगौताटोला
							योग :—	105	**06 ग्राम**
19			19	मोहगांव	37	मोहगांव		106	मेहगांव
									खैरबना
								107	बरगांव
								108	बीसाटोला
					38	गगरियाखम्हरिया		109	गगरियाखम्हरिया
								110	कोटराबुंदेली
							योग :—	111	**06 ग्राम**
20			20	जमुनिया	39	जमुनिया		112	जमुनिया
									डुमरिया
								113	मजगावं
					40	डोगरिया		114	डोगरिया
								115	झाडूटोला
							योग :—	116	**05 ग्राम**
21			21	रणजीतपुर	41	रणजीतपुर		117	रणजीतपुर
									मनपुर
					42	सिंघनगढ		118	सिंघनगढ
							योग :—	119	**03 ग्राम**

22			22	सिंगारपुर	43	सिंगारपुर	120	सिंगारपुर
								खैरबना
							121	बाजगुढा
							122	दैहानडीह
					44	सुकतरा	123	सुकतरा
							124	भंडारपुर
							125	डोमाटोला
						योग :—	126	**07 ग्राम**
23			23	नवघटा	45	नवघटा	127	नवघटा
								सबराटोला
							128	पटपर
							129	रेंगाखार
					46	दरिगंवा	130	दरिगवां
							131	छारगांव
						योग :—	132	**06 ग्राम**
24			24	उडियाखुर्द	47	उडियाखुर्द	133	उडियाखुर्द
								ओडियाकला
							134	चिलमखोदरा
					48	कारेसरा	135	कारेसरा
							136	बनिया
							137	धनेलीडीह
							138	गंगीबहरा
							139	बुधवारा
						योग :—	140	**08 ग्राम**
25			25	I	49	कुम्हारदनिया	141	कुम्हारदनिया
								रमपुरा
							142	नेवारपुर
					50	दनियाखुर्द	143	दनियाखुर्द
							144	वीरनपुरखुर्द
							145	खपरी
						योग :—	146	**06 ग्राम**
26	स.लोहारा	वी—नगर	26	चारभाठा	51	चारभाठा	147	चारभाठा
					52	हथलेवा		हथलेवा
							148	अचानकपुर
							149	साहेबपारा वीरान
						योग :—	150	**04 ग्राम**
27			27	गोछिया	53	गोछिया	151	गोछिया
								हरडुवाडीह
					54	सिंघनपुरी	152	सिंघनपुरी
							153	पेण्डीखुर्द
						योग :—	154	**04 ग्राम**
28			28	सेमरिया	55	सेमरिया	155	सेमरिया
								खैरझिटी
							156	मुंगेलीडीह

					56	बगदई	157	बगदई
							158	उलट
							159	मोहतरा
						योग :–	160	**06 ग्राम**
29			29	गैंदपुर	57	गैंदपुर	161	गैंदपुर
					58	बांधी		बांधी
							162	अमलीडीह
							163	कौडिया
							164	पवले
						योग :–	165	**05 ग्राम**
30			30	गोरखपुर	59	गोरखपुर	166	गोरखपुर
								सिंघौरी
							167	रुसे
					60	कुंआ	168	कुंआ
							169	करही
							170	देवदहरा
						योग :–	171	**06 ग्राम**
31			31	ठाठापुर उर्फ रामपुर	61	ठाठापुर उर्फ रामपुर	172	ठाठापुर उर्फ रामपुर
								मोहभट्ठा
					62	दानीघटोली	173	दानीघटोली
							174	कडकडा
						योग :–	175	**04 ग्राम**
32			32	धरमगढ	63	धरमगढ	176	धरमगढ
					64	भाटकुंडेरा		भाटकुंडेरा
							177	ढोरली
							178	खोलाबाडीह वीरान
						योग :–	179	**04 ग्राम**
33			33	सुरजपुरा	65	सुरजपुरा	180	सुरजपुरा
								हरदी
					66	कोहडिया	181	कोहडिया
							182	भीखमपुर
							183	उसलापुर
						योग :–	184	**05 ग्राम**
34			34	पैलपार	67	पैलपार	185	पैलपार
								बनिया
							186	गोरखपुरखुर्द
					68	नवागांवखुर्द	187	नवागांवखुर्द
							188	रगरा
						योग :–	189	**05 ग्राम**
35			35	वीरेन्द्रनगर	69	वीरेन्द्रनगर	190	वीरेन्द्रनगर
					70	टाटीकसा		टाटीकसा
							191	राजपुर
							192	मोहनपुर
						योग :–	193	**04 ग्राम**
36			36	रणवीरपुर	71	रणवीरपुर	194	रणवीरपुर

					72	कोसमंदा		कोसमंदा
							195	मगरवाह
						योग :—	196	**03 ग्राम**
37			37	गौरमाटी	73	गौरमाटी	197	गौरमाटी
					74	गौरझुमर		गौरझुमर
							198	कोटगांव
						योग :—		**03 ग्राम**
		तहसील स.लोहारा				**कुल ग्राम**	**198**	

सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी,
कलेक्टर.

तहसील पंडरिया में दो पंचायतों का एक पटवारी हल्का के आधार पर हल्का पुनर्गठन की सूची निम्नानुसार हैं

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का		ग्राम पंचायत		पटवारी हल्का के अन्तर्गत आने वाले ग्राम	
			प.ह.नं.	मुख्यालय का नाम	क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	क्र.	ग्राम का नाम पंचायतवार
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	पंडरिया	पंडरिया	1	बदना	1	बदना	1	बदना
							2	घोंघराखुर्द
							3	भुरभुसपानी
					2	बीरहुलडीह	4	बीरहुलडीह
							5	मजगांव
							6	पढ़रीपानी
						योग :—		**06 ग्राम**
2			2	नेउर	3	नेउर	7	नेउर
							8	महीडबरा
							9	कुसयारी
					4	कांदावानी	10	कांदावानी
							11	रुखमीदादर
							12	घुरसी
							13	वाहपानी
						योग :—		**07 ग्राम**
3			3	अमनिया	5	अमनिया	14	अमनिया
							15	बसूलालोट
							16	[illegible]
							17	सेजाडीह
							18	भाठूर

					6	सेदुरखार	19	सेदुरखार
							20	बांगर
					योग :–			07 ग्राम
4			4	पुटपुटा	7	पुटपुटा	21	पुटपुटा
							22	चाटा
					8	छिंदीडीह	23	छिदीडीह
							24	सारपानी
							25	सरईपानी
						योग :–		05 ग्राम
5			5	आगरपानी	9	आगरपानी	26	आगरपानी
							27	बोहिल
					10	भेलकी	28	भेलकी
							29	देवनपटपर
							30	तेलियापानी धोबे
							31	अधचरा
						योग :–		06 ग्राम
6			6	डालामोहा	11	डालामौहा	32	डालामौहा
							33	चियांडांड
							34	भैसाडबरा वीरान
					12	तेलियापानी लेदरा	35	तेलियापानी लेंदरा
							36	अजवाइनवाह
							37	तीनगड्डा
							38	माराडबरा
						योग :–		07 ग्राम
7			7	चतरी	13	चतरी	39	चतरी
							40	मंगली
							41	बिचारपुर
					14	मझोलीरवन	42	मझोलीरवन
							43	गुढा
						योग :–		05 ग्राम
8			8	कोदवागोंडन	15	कोदवागोंडन	44	कोदवागोंडन
							45	टकटोइया
					16	मलकछरा	46	मलकछरा
							47	भोयटोला
						योग :–		04 ग्राम
9			9	छीरपानी	17	छीरपानी	48	छीरपानी
					18	सरईसेत	49	सरईसेत
							50	सनकपाट
						योग :–		03 ग्राम
10			10	अमरपुर	19	अमरपुर	51	अमरपुर
							52	मदनपुर
					20	बाघरायटोला	53	बाघरायटोला
							54	निहालपुर
						योग :–		04 ग्राम
11			11	खैरडोगरी	21	खैरडोगरी	55	खैरडोगरी
							56	सरैहा

							57	उदका
					22	झिगराडोही	58	झिगराडोही
							59	बिरेनवार
							60	कुल्हीडोगरी
						योग :–		**06 ग्राम**
12			12	कामठी	23	कामठी	61	कामठी
							62	कडमा
					24	माठपुर	63	माठपुर
							64	भडगो
							65	नागाडबरा वीरान
						योग :–		**05 ग्राम**
13			13	पोलभी	25	पोलभी	66	पोलभी
					26	भेडागढ	67	भेडागढ
							68	परसेलखार
							69	पंडरीखार
						योग :–		**04 ग्राम**
14			14	कुकदुर	27	कुकदुर	70	कुकदुर
							71	लखनपुर
					28	दमगढ	72	दमगढ
							73	अमेंरा
						योग :–		**04 ग्राम**
15			15	देवसरा	29	देवसरा	74	देवसरा
							75	रोखनी
					30	खाम्ही	76	खाम्ही
							77	बकेला
							78	सेमरहा
						योग :–		**05 ग्राम**
16			16	खौरझिटी	31	खौरझिटी पुराना	79	खौरझिटी
							80	घोघरा कला
							81	करपीगोड़ान
							82	मूरकी
					32	लिम्हईपुर	83	लिम्हईपुर
							84	बिरनपुर
							85	गौरकांपा
						योग :–		**07 ग्राम**
17			17	कुई	33	कुई	86	कुई
					34	लोखान	87	लोखान
							88	पटौहा
							89	लालपुर
							90	कमराखोल
						योग :–		**05 ग्राम**
18			18	मुनमुना	35	मुनमुना	91	मुनमुना
							92	सगौना
							93	बंदौरा

								94	गरगरा वीरान
								95	नवागांव कपोटी वीरान
								96	जमुनपानी
					36	सिगपुर		97	सिगपुर
								98	भुनगाडिह
								99	छिरहा
								100	पिपरहा
								101	टिकरवाह
						योग :–			**11 ग्राम**
19			19	दुल्लापुर	37	दुल्लापुर		102	दुल्लापुर
								103	भदराली
								104	गौरकापा
								105	बिझौरी
					38	नरसिंहपुर		106	नरसिंहपुर
								107	लालपुर खुर्द
						योग :–			**06 ग्राम**
20			20	अमलीडीह	39	अमलीडीह		108	अमलीडीह
					40	भरेवापारा		109	भरेवापारा
								110	करपीकला
						योग :–			**03 ग्राम**
21			21	कापादाह	41	कापादाह		111	कापादाह
					42	घुटुरकुंडी		112	घुटुरकुंडी
						योग :–			**02 ग्राम**
22			22	बाघामुडा	43	बाघामुडा		113	बाघामुडा
								114	सावंतपुर
					44	डोमनपुर		115	डोमनपुर
								116	दामापुर
						योग :–			**04 ग्राम**
23			23	किशुनगढ़	45	किशुनगढ		117	किशुनगढ
					46	सगौनाडीह		118	सगौनाडीह
								119	दलपुरवा
								120	बोधीपारा
						योग :–			**04 ग्राम**
24			24	सोमनापुर	47	सोमनापुर		121	सोमनापुर
								122	दलपी
								123	नवागांव टिकौत
					48	बूचीपारा		124	बूचीपारा
								125	झिरीयाकला
								126	झिरीयाखुर्द
								127	साकपारा वीरान
								128	पुतकी खुर्द
						योग :–			**08 ग्राम**
25			25	रमतला	49	रमतला		129	रमतला
					50	मोहतराखुर्द		130	मोहतराखुर्द

							131	सिमराडवरी
							132	पेण्ड्री खुर्द
						योग :–		**04 ग्राम**
26			26	सोनपुरी	51	सोनपुरी	133	सोनपुरी
							134	तेन्दुवाडीह
							135	रेहुंटा
							136	सेम्हरकांपा वीरान
							137	धुतपुर वीरान
					52	पुसेरा	138	पुसेरा
							139	बांधा
						योग :–		**07 ग्राम**
27			27	पंडरिया नगरपंचायत	53	पंडरिया	140	पंडरिया
							141	नवापारा
						योग :–		**02 ग्राम**
28			28	पाढी	54	पाढी	142	पाढी
					55	केसली गोडान	143	केसली गोडान
							144	बिरकोना
							145	रहमान कापा
							146	हजारी कांपा वीरान
							147	बकबुडा वीरान
							148	माथानी वीरान
						योग :–		**07 ग्राम**
29			29	गांगपुर	56	गांगपुर	149	गांगपुर
							150	पंडरिपथरा
							151	बीजईटोला
							152	मदनपुरखुर्द
							153	भगतपुर
							154	बिनौरी
							155	राम्हेपुर
					57	लाडंगपुर	156	लांड़गपुर
							157	लडुवा
						योग :–		**09 ग्राम**
30			30	पण्डातराई	58	पण्डातराई	158	पण्डातराई
					59	चरखुरा	159	चरखुरा
							160	नवागांव कला
							161	सरई पतेरा कला
						योग :–		**04 ग्राम**
31			31	डोंगरिया कला	60	डोंगरिया कला	162	डोंगरिया कला
							163	पुतकीकला
					61	दशरंगपुर	164	दशरंगपुर
							165	चारभाटा खुर्द
						योग :–		**04 ग्राम**
32			32	परसवारा	62	परसवारा	166	परसवारा
					63	रोहरा	167	रोहरा

							168	विशेषरा
							169	चारभाठाकला
						योग :–		**04 ग्राम**
33			33	रौहा	64	रौहा	170	रौहा
							171	मोतिनपुर
							172	कुबारखुर्द
							173	अलीपुर
							174	सिगारपुर
							175	सरईपतेरा
					65	मैनपुरा	176	मैनपुरा
							177	देवपुरा
						योग :–		**08 ग्राम**
34			34	मझोली	66	मंझोली	178	मंझौली
					67	कोयलारीकांपा	179	कोयलारीकांपा
							180	मजनूकापा
						योग :–		**03 ग्राम**
35			35	कुम्ही	68	कुम्ही	181	कुम्ही
					69	धोबघट्टी	182	धोबघट्टी
						योग :–		**02 ग्राम**
36			36	खरहट्टा	70	खरहट्टा	183	खरहट्टा
							184	केशलमरा
					71	पंडकीकला	185	पंडकीकला
							186	बैलमुडा
							187	पिपरखुटी
						योग :–		**05 ग्राम**
37			37	नवागांव हट्हा	72	नवागांव हट्हा	188	नवागांव हट्हा
							189	दोमसरा
					73	पौनी	190	पौनी
							191	तिलईभाठ
						योग :–		**04 ग्राम**
38			38	नानापुरी	74	नानापुरी	192	नानापुरी
							193	कोंडापुरी
					75	नेउरगांव	194	नेउरगांव
							195	तोरला
						योग :–		**04 ग्राम**
39			39	खैरझिटी	76	खैरझिटी	196	खैरझिटी
							197	प्राणकांपा
					77	नरौली	198	नरौली
							199	नवागांव मुसउ
						योग :–		**04 ग्राम**
40	पंडरिया	कुण्डा	40	बघर्रा	78	बघर्रा	200	बघर्रा
							201	भुवालपुर
							202	महका
					79	डबरी	203	डबरी
							204	बीजाभाठा
							205	भैंसबोड
						योग :–		**06 ग्राम**

41			41	महली	80	महली	206	महली
					81	सुरजपुर	207	सुरजपुर
							208	दुल्लापुर
						योग :–		**03 ग्राम**
42			42	खम्हरिया	82	खम्हरिया	209	खम्हरिया
							210	गुन्झोटा
							211	अखरा
					83	रेंगाबोड	212	रेंगाबोड
							213	बनियाकुबा
						योग :–		**05 ग्राम**
43			43	बोडतराखुर्द	84	बोडतराखुर्द	214	बोडतराखुर्द
							215	नवागांवगजरी
							216	खैरवारकला
					85	हथमुडी	217	हथमुडी
							218	केशलीखुर्द
							219	छितापार कला
						योग :–		**06 ग्राम**
44			44	जंगलपुर	86	जंगलपुर	220	जंगलपुर
							221	प्रतापपुर
					87	अंधियारखार	222	अंधियारखार
							223	लालपुर
						योग :–		**04 ग्राम**
45			45	रैतापारा	88	रैतापारा	224	रैतापारा
					89	पलानसरी	225	पलानसरी
						योग :–		**02 ग्राम**
46			46	मोंहगाव	90	मोंहगांव	226	मोहगाव
					91	रुसे	227	रुसे
						योग :–		**02 ग्राम**
47			47	सोढा	92	सोढा	228	सोढा
							229	कारीमाटी
					93	मोहतराकला	230	मोहतराकला
						योग :–		**03 ग्राम**
48			48	भगतपुर	94	भगतपुर	231	भगतपुर
							232	धनेली
					95	कोलेगाव	233	कोलेगाव
						योग :–		**03 ग्राम**
49			49	रांपा	96	रांपा	234	रांपा
							235	पीपरमाटी
					97	पण्ड़ीकला	236	पण्ड़ीकला
						योग :–		**03 ग्राम**
50			50	बसनी	98	घोरपेण्ड़ी	237	घोरपेण्ड़ी
							238	बसनी
					99	खैलटुकरी	239	खैलटुकरी
							240	सुरजपुराखुर्द
							241	रेंहुटाकला
						योग :–		**05 ग्राम**
51			51	कुण्डा	100	कुण्डा	242	कुण्डा

					101	मकरी	243	मकरी
							244	गिरधारी कांपा
							245	दुल्लीपार
						योग :–		**04 ग्राम**
52			52	ओढाडबरी	102	ओढाडबरी	246	ओढाडबरी
							247	लोखान
					103	सेंनहाभाठा	248	सेनहाभाठा
						योग :–		**03 ग्राम**
53			53	देवगढिया	104	देवगढिया	249	देवगढिया
							250	ढोलाकांपा
							251	भरेवापुरन
							252	कंवलपुर
							253	खैरातुलसी
					105	सुकलीगोंविद	254	सुकलीगोंविद
							255	रकंटा
							256	बिपतपुर
						योग :–		**08 ग्राम**
54			54	दामापुर	106	दामापुर	257	दामापुर
							258	डोगरिया खुर्द
					107	आतरियाखुर्द	259	आतरियाखुर्द
							260	टाटीकसा
							261	धीकुडिया वीरान
						योग :–		**05 ग्राम**
55			55	मौहामडवा	108	सेमरकोना	262	सेमरकोना
							263	अमलीमालभी
					109	नीगापुर	264	नीगापुर
							265	नावागाव
							266	मौहामडवा
						योग :–		**05 ग्राम**
56			56	कुवामालगी	110	कंझेटा	267	कंझेटा
					111	कुवामालगी	268	कुवामालगी
							269	कंझेटी
							270	पथर्रा
						योग :–		**04 ग्राम**
57			57	सैयामालगी	112	सोमनापुर	271	सोमनापुर
							272	अंकबरकांपा
							273	भटरुससे
							274	मौतेसरा
					113	सैहामालगी	275	सैहामालगी
						योग :–		**05 ग्राम**
58			58	प्राणखैरा	[illegible]	कोयलारी	276	कोयलारी कला
							277	आमादाह
							278	बंशापुर
					115	को[illegible]ाकला	279	कोदवाकला
							280	घुघरी

							281	प्राणखैरा
						योग :–		**06 ग्राम**
59			59	जैतपुरी	116	पंवरजली	282	पंवरजली
							283	पंचधार
							284	बहबलिया
					117	पटुआ	285	पटुआ
							286	जैतपुरी
							287	बमईपुर
						योग :–		**06 ग्राम**
	तहसील	**पंडरिया**	**59**		**117**	**कुल ग्राम**		**287**

सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी,
कलेक्टर.

जिला कबीरधाम में 2 पंचायतों का एक पटवारी हल्का के आधार पर हल्का पुर्नगठन की

गोशवारा

कमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित हल्कों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	कुल ग्राम संख्या
1	2	3	4	5
1	बोडला	49	98	344
2	कवर्धा	43	83	183
3	स.लोहारा	37	74	198
4	पंडरिया	59	116	287
योग	**जिला**	**188**	**371**	**1012**

सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी,
कलेक्टर.

जिला कबीरधाम में 2 पंचायतों का एक पटवारी हल्का के आधार पर हल्का पुर्नगठन की

गोशवारा

क्रमांक	तहसील का नाम	प्रस्तावित हल्कों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	नगरीय क्षेत्र	कुल ग्राम संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बोडला	49	98	–	344
2	कवर्धा	43	83	1 नगर पालिका	183
3	स.लोहारा	37	74	–	198
4	पंडरिया	59	116	1 नगर पंचायत	287
योग	**जिला**	**188**	**371**	**02**	**1012**

सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा, छत्तीसगढ़

प्रारूप-ख
[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

कोरबा, दिनांक 19 जून 2008

क्रमांक/6399/भू-अर्जन/2008.—छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 5 दिनांक 02 फरवरी 2007 (भाग-1 पृष्ठ 146-149), भू-राजस्व प्रकरण क्रमांक 743/भू-बंटन/अर्जन/2007 दिनांक 24 जनवरी 2007 एवं रा. प्र. क्र. 09/अ-82/2006-07 में ग्राम-पताढ़ी, जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) की सूची में छूटे हुए खसरा नम्बरों के प्रकाशन हेतु.

राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हसदेव नदी ग्राम-कुदुरमाल, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) से जल परिवहन हेतु ग्राम-पताढ़ी, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) तक मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		पताढ़ी-(निजी भूमि)		
कोरबा	कोरबा	पताढ़ी/	26	0.01
		प. ह. नं. 7	117/1	0.02
		पताढ़ी की कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि		**0.03**

स्थान : कोरबा (छ. ग.)

दिनांक : 19-6-08

FORM-B

[Under Sub Section (1) of Section 5]

CHHATTISGARH UNDERGROUND PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2004

Korba, the 19th June 2008

No./6399/Bhu-Arjan/2008.—New Khasra Numbers to be incorporated in earlier published list of Vill.-Patadi, Distt.-Korba (C. G.) in Chhattisgarh Gazette Notification Number 5 dated 02 February 2007 (Part-1 Pages 146-149), Bhu-Rajaswa Prakaran Number 743/Bhu-Bantan/Arjan/2007 dated 24 January 2007 and Revenue Case Number 09/A-82/2006-07.

Whereas, it appears to the State Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Water from Hasdev River at Village-Kudurmal, Tehsil & District-Korba of Chhattisgarh State, an underground pipeline should be laid by M/s Lanco Amarkantak Power Private Limited, Village-Patadi, Post Office-Tilkeja, Tehsil/District-Korba (Chhattisgarh).

And whereas, it appears to the State Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid which is described in the schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in the exercise of the powers conferred by the Sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004). The State Government hereby, declare its intention to acquire the right of user herein.

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which the publication of notification in the official gazette under Sub-section (1) of Section 3 of the Act. Object in

writing to the laying of underground pipeline under the land to the Competent Authority Additional Collector, Korba Chhattisgarh.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village/ P. C. N.	Khasra No.	Land to be acquired for R. O. U. (in Acres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Patadi- (Private Land)		
Korba	Korba	Patadi/ P. C. N. 7	26	0.01
			117/1	0.02
	Patadi- Total of Proposed Pvt. Land to be Acquired			**0.03**

Place : Korba (C. G.)

Date : 19-6-2008

प्रारूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें].

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

कोरबा, दिनांक 19 जून 2008

क्रमांक/6399/भू-अर्जन/2008.—छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 5 दिनांक 02 फरवरी 2007 (भाग-1 पृष्ठ 151-153), भू-राजस्व प्रकरण क्रमांक 743/भू-बंटन/अर्जन/2007 दिनांक 24 जनवरी 2007 एवं रा. प्र. क्र. 04/अ-82/2006-07 में ग्राम-उरगा, जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) की सूची में छूटे हुए खसरा नम्बरों के प्रकाशन हेतु.

राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हसदेव नदी ग्राम-कुदुरमाल, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) से जल परिवहन हेतु ग्राम-पताढ़ी, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) तक मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी,

अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		उरगा-(निजी भूमि)		
कोरबा	कोरबा	उरगा/ प. ह. नं. 7	1149/1	0.03
	उरगा की कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि			**0.03**

स्थान : कोरबा (छ. ग.)

दिनांक : 19-6-08

FORM-B

[Under Sub Section (1) of Section 5]

CHHATTISGARH UNDERGROUND PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2004

Korba, the 19th June 2008

No./6399/Bhu-Arjan/2008.—New Khasra Numbers to be incorporated in earlier published list of Vill.-Urga, Distt.-Korba (C.G.) in Chhattisgarh Gazette Notification Number 5 dated 02 February 2007 (Part-1 Pages 151-153), Bhu-Rajaswa Prakaran Number 743/Bhu-Bantan/Arjan/2007 dated 24 January 2007 and Revenue Case Number 04/A-82/2006-07.

Whereas, it appears to the State Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Water from Hasdev River at Village-Kudurmal, Tehsil & District-Korba of Chhattisgarh State, an underground pipeline should be laid by M/s Lanco Amarkantak Power Private Limited, Village-Patadi, Post Office-Tilkeja, Tehsil/District-Korba (Chhattisgarh).

And whereas, it appears to the State Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid which is described in the schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in the exercise of the powers conferred by the Sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004). The State Government hereby declare its intention to acquire the right of user herein.

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which the publication of notification in the official gazette under Sub-section (1) of Section 3 of the Act. Object in

writing to the laying of underground pipeline under the land to the Competent Authority Additional Collector, Korba Chhattisgarh.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village/ P. C. N.	Khasra No.	Land to be acquired for R. O. U. (in Acres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Urga- (Private Land)		
Korba	Korba	Urga/ P. C. N. 7	1149/1	0.03
	Urga- Total of Proposed Pvt. Land to be Acquired			**0.03**

Place : Korba (C. G.)

Date : 19-6-2008

प्रारूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

कोरबा, दिनांक 19 जून 2008

क्रमांक/6399/भू-अर्जन/2008.—छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 5 दिनांक 02 फरवरी 2007 (भाग-1 पृष्ठ 154-155), भू-राजस्व प्रकरण क्रमांक 743/भू-बंटन/अर्जन/2007 दिनांक 24 जनवरी 2007 एवं रा. प्र. क्र. 05/अ-82/2006-07 में ग्राम-सेमीपाली, जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) की सूची में छूटे हुए खसरा नम्बरों के प्रकाशन हेतु.

राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हसदेव नदी ग्राम-कुदुरमाल, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) से जल परिवहन हेतु ग्राम-पताढ़ी, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) तक मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी,

अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		सेमीपाली-(निजी भूमि)		
कोरबा	कोरबा	सेमीपाली/ प. ह. नं. 7	476/4	0.01
		सेमीपाली की कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि		**0.01**

स्थान : कोरबा (छ. ग.)

दिनांक : 19-6-08

FORM-B

[Under Sub Section (1) of Section 5]

CHHATTISGARH UNDERGROUND PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2004

Korba, the 19th June 2008

No./6399/Bhu-Arjan/2008.—New Khasra Numbers to be incorporated in earlier published list of Vill.-Semipali, Distt.-Korba (C. G.) in Chhattisgarh Gazette Notification Number 5 dated 02 February 2007 (Part-1 Pages 154-155), Bhu-Rajaswa Prakaran Number 743/Bhu-Bantan/Arjan/2007 dated 24 January 2007 and Revenue Case Number 05/A-82/2006-07.

Whereas, it appears to the State Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Water from Hasdev River at Village-Kudurmal, Tehsil & District-Korba of Chhattisgarh State, an underground pipeline should be laid by M/s Lanco Amarkantak Power Private Limited, Village-Patadi, Post Office-Tilkeja, Tehsil/District-Korba (Chhattisgarh).

And whereas, it appears to the State Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid which is described in the schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in the exercise of the powers conferred by the Sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004). The State Government hereby declare its intention to acquire the right of user herein.

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which the publication of notification in the official gazette under Sub-section (1) of Section 3 of the Act. Object in

writing to the laying of underground pipeline under the land to the Competent Authority Additional Collector, Korba Chhattisgarh.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village/ P. C. N.	Khasra No.	Land to be acquired for R. O. U. (in Acres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Semipali- (Private Land)		
Korba	Korba	Semipali/ P. C. N. 7	476/4	0.01
	Semipali- Total of Proposed Pvt. Land to be Acquired			**0.01**

Place : Korba (C. G.)

Date : 19-6-2008

प्रारूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

कोरबा, दिनांक 19 जून 2008

क्रमांक/6399/भू-अर्जन/2008.—छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 5 दिनांक 02 फरवरी 2007 (भाग-1 पृष्ठ 156-157), भू-राजस्व प्रकरण क्रमांक 743/भू-बंटन/अर्जन/2007 दिनांक 24 जनवरी 2007 एवं रा. प्र. क्र. 06/अ-82/2006-07 में ग्राम-अखरापाली, जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) की सूची में छूटे हुए खसरा नम्बरों के प्रकाशन हेतु.

राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हसदेव नदी ग्राम-कुदुरमाल, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) से जल परिवहन हेतु ग्राम-पताढ़ी, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) तक मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी,

अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		अखरापाली-(निजी भूमि)		
कोरबा	कोरबा	अखरापाली/	545/2	0.03
		प. ह. नं. 6	553/2	0.03
			553/1	0.02
			545/1	0.03
		अखरापाली की कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि		**0.11**

स्थान : कोरबा (छ. ग.)

दिनांक : 19-6-08

FORM-B

[Under Sub Section (1) of Section 5]

CHHATTISGARH UNDERGROUND PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2004

Korba, the 19th June 2008

No./6399/Bhu-Arjan/2008.—New Khasra Numbers to be incorporated in earlier published list of Vill,-Akhrapali, Distt.-Korba (C. G.) in Chhattisgarh Gazette Notification Number 5 dated 02 February 2007 (Part-1 Pages 156-157), Bhu-Rajaswa Prakaran Number 743/Bhu-Bantan/Arjan/2007 dated 24 January 2007 and Revenue Case Number 06/A 82/2006-07.

Whereas, it appears to the State Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Water from Hasdev River at Village-Kudurmal, Tehsil & District-Korba of Chhattisgarh State, an underground pipeline should be laid by M/s Lanco Amarkantak Power Private Limited, Village-Patadi, Post Office-Tilkeja, Tehsil/ District-Korba (Chhattisgarh).

And whereas, it appears to the State Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid which is described in the schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in the exercise of the powers conferred by the Sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004). The State Government hereby, declare its intention to acquire the right of user herein.

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which the publication of notification in the official gazette under Sub-section (1) of Section 3 of the Act. Object in

writing to the laying of underground pipeline under the land to the Competent Authority Additional Collector, Korba Chhattisgarh.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village/ P. C. N.	Khasra No.	Land to be acquired for R. O. U. (in Acres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Akhrapali- (Private Land)		
Korba	Korba	Akhrapali/ P. C. N. 6	545/2	0.03
			553/2	0.03
			553/1	0.02
			545/1	0.03
	Akhrapali- Total of Proposed Pvt. Land to be Acquired			**0.11**

Place : Korba (C. G.)

Date : 19-6-2008

प्रारूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

कोरबा, दिनांक 19 जून 2008

क्रमांक/6399/भू-अर्जन/2008.—छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 5 दिनांक 02 फरवरी 2007 (भाग-1 पृष्ठ 158-160), भू-राजस्व प्रकरण क्रमांक 743/भू-बंटन/अर्जन/2007 दिनांक 24 जनवरी 2007 एवं रा. प्र. क्र. 07/अ-82/2006-07 में ग्राम-देवरमाल, जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) की सूची में छूटे हुए खसरा नम्बरों के प्रकाशन हेतु.

राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हसदेव नदी ग्राम-कुदुरमाल, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) से जल परिवहन हेतु ग्राम-पताढ़ी, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) तक मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी,

अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नम्बर (4)	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
		देवरमाल (निजी भूमि)		
कोरबा	कोरबा	देवरमाल/ प. ह. नं. 6	783	0.03
			795/1	0.02
			819/2	0.02
			832/1	0.03
	देवरमाल की कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि			**0.10**

स्थान : कोरबा (छ. ग.)

दिनांक : 19-6-08

FORM-B

[Under Sub Section (1) of Section 5]

CHHATTISGARH UNDERGROUND PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2004

Korba, the 19th June 2008

No./6399/Bhu-Arjan/2008.—New Khasra Numbers to be incorporated in earlier published list of Vill.-Dewarmal, Distt.-Korba (C. G.) in Chhattisgarh Gazette Notification Number 5 dated 02 February 2007 (Part-1 Pages 158-160), Bhu-Rajaswa Prakaran Number 743/Bhu-Bantan/Arjan/2007 dated 24 January 2007 and Revenue Case Number 07/A-82/2006-07.

Whereas, it appears to the State Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Water from Hasdev River at Village-Kudurmal, Tehsil & District-Korba of Chhattisgarh State, an underground pipeline should be laid by M/s Lanco Amarkantak Power Private Limited, Village-Patadi, Post Office-Tilkeja, Tehsil/District-Korba (Chhattisgarh).

And whereas, it appears to the State Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid which is described in the schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in the exercise of the powers conferred by the Sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004). The State Government hereby, declare its intention to acquire the right of user herein.

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which the publication of notification in the official gazette under Sub-section (1) of Section 3 of the Act. Object in

writing to the laying of underground pipeline under the land to the Competent Authority Additional Collector, Korba Chhattisgarh.

SCHEDULE

District (1)	Tehsil (2)	Village/ P. C. N. (3)	Khasra No. (4)	Land to be acquired for R. O. U. (in Acres) (5)
		Dewarmal- (Private Land)		
Korba	Korba	Dewarmal/ P. C. N. 6	783	0.03
			795/1	0.02
			819/2	0.02
			832/1	0.03
	Dewarmal- Total of Proposed Pvt. Land to be Acquired			**0.10**

Place : Korba (C. G.)

Date : 19-6-2008

प्रारूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

कोरबा, दिनांक 19 जून 2008

क्रमांक/6399/भू-अर्जन/2008.—छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 5 दिनांक 02 फरवरी 2007 (भाग-1 पृष्ठ 161-164), भू-राजस्व प्रकरण क्रमांक 743/भू-बंटन/अर्जन/2007 दिनांक 24 जनवरी 2007 एवं रा. प्र. क्र. 08/अ-82/2006-07 में ग्राम-कुदुरमाल, जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) की सूची में छूटे हुए खसरा नम्बरों के प्रकाशन हेतु.

राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हसदेव नदी ग्राम-कुदुरमाल, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) से जल परिवहन हेतु ग्राम-पताढ़ी, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) तक मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी,

अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		कुदुरमाल-(निजी भूमि)		
कोरबा	कोरबा	कुदुरमाल/ प.ह. नं. 6	264/1	0.02
		कुदुरमाल की कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि		**0.02**

स्थान : कोरबा (छ. ग.)

दिनांक : 19-6-08

FORM-B

[Under Sub Section (1) of Section 5]

CHHATTISGARH UNDERGROUND PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2004

Korba, the 19th June 2008

No./6399/Bhu-Arjan/2008.—New Khasra Numbers to be incorporated in earlier published list of Vill.-Kudurmal, Distt.-Korba (C. G.) in Chhattisgarh Gazette Notification Number 5 dated 02 February 2007 (Part-I Pages 161-164), Bhu-Rajaswa Prakaran Number 743/Bhu-Bantan/Arjan/2007 dated 24 January 2007 and Revenue Case Number 08/A-82/2006-07.

Whereas, it appears to the State Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Water from Hasdev River at Village-Kudurmal, Tehsil & District-Korba of Chhattisgarh State, an underground pipeline should be laid by M/s Lanco Amarkantak Power Private Limited, Village-Patadi, Post Office-Tilkeja, Tehsil/District-Korba (Chhattisgarh).

And whereas, it appears to the State Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid which is described in the schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in the exercise of the powers conferred by the Sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004). The State Government hereby, declare its intention to acquire the right of user herein.

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which the publication of notification in the official gazette under Sub-section (1) of Section 3 of the Act. Object. in

writing to the laying of underground pipeline under the land to the Competent Authority Additional Collector, Korba Chhattisgarh.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village/ P. C. N.	Khasra No.	Land to be acquired for R. O. U. (in Acres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Kudurmal- (Private Land)		
Korba	Korba	Kudurmal/ P. C. N. 6	264/1	0.02
	Kudurmal- Total of Proposed Pvt. Land to be Acquired			**0.02**

Place : Korba (C. G.)

Date : 19-6-2008

पी. निहलानी,
अपर कलेक्टर.